सी आइ टी यू प्रकाशन

सांगठनिक रिपोर्ट

भुवनेश्वर में 4–6 जून 1993 को आयोजित
सी आइ टी यू की वर्किंग कमेटी की
बैठक में स्वीकृत

1. सांगठनिक रिपोर्ट

1.1 भारतवर्ष के ट्रेड यूनियन पटल पर सी० आई० टी० आई० यू० को उभरे आज तेईस वर्ष गुजर चुके। अपने जन्म से ही मजदूर वर्ग के साझा मुद्दों को लेकर एकजुट आंदोलन खड़ा करने में उसने एक अहम भूमिका निभायी है। इस अवधि के दौरान सी० आई० टी० यू० ने मजदूर वर्ग के हितों को सबसे अधिक उजागर कर मजदूर वर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

1.2 सी० आई० टी० यू० "वर्ग संघर्ष" एवं "समाजवाद के सिद्धान्तों पर अडिग एवं अटल रहकर, इन फौलादी आदर्शों की विरोधी ताकतों से लगातार जूझती रही है। मजदूरों के वर्ग-हित की रक्षा के लिए आवश्यकता हुई तो उसने अकेले भी कई मौकों पर संघर्ष में उतरने में झिझक नहीं दिखाई है बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उसे कामयाब बनाने में एंड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है।

1.3 अपने प्रथम सम्मेलन में ही सी० आई० टी० यू० ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक सूत्र में पिरोने पर बल दिया। जब आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० ने सन् 1971 ई० में भारत सरकार के कहने पर नेशनल कॉउन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स की स्थापना की तब सी० आई० टी० यू० ने शीघ्र ही सक्रिय हो, अन्य सभी ट्रेड यूनियनों एवं औद्योगिक फेडरेशनों को साथ लेकर यूनाइटेड कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (यू० सी० टी० यू०) की स्थापना की। इस संस्था ने अनेकों मुद्दों पर मजदूर वर्ग को साथ लेकर साझा आंदोलन खड़ा किया तथा दृढ़ता से मजदूर वर्ग के विरोध में किये गये हमलों या आक्रमणों के खिलाफ संघर्ष किया। उसने इन्दिरा गाँधी सरकार के द्वारा थोपी गई आपात कालीन स्थिति तथा आपात-काल के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई त्रिपक्षीय शीर्ष कमेटी (नेशनल एपेक्स बाडी) की लूट-खसोट का डटकर विरोध किया। जब बोनस को 8% से काटकर 4% (प्रतिशत) किया गया तो एक मात्र यू० सी० टी० यू० ने ही इसके विरोध में पूरे देश में संघर्ष का संचालन किया। इसके फलस्वरूप नेशनल कॉउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन वास्तव में अस्तित्वविहीन हो गई और अंततः एच० एम० एस० को यू० सी० टी० यू० में शामिल होना पड़ा।

1.4. यू० सी० टी० यू० के द्वारा बनाई गई एकता उस वक्त और भी मजबूत हुई जब जनता सरकार के द्वारा सन् 1978 ई० में संसद में औद्योगिक

सम्पर्क विधेयक लाया गया तथा हमलोगों की पहल पर औद्योगिक सम्पर्क विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान कमेटी का गठन किया गया जिसमें आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी० तथा बी० एम० एस० को भी शामिल किया गया। इस अभियान के फलस्वरूप इस विधेयक की स्वाभाविक मौत हो गयी। परन्तु जब कांग्रेस सरकार सन् 1980 में फिर से शासन में वापस आई तो आई० एन० टी० यू० सी० अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गई। लेकिन एक एक मुद्दे मजदूर वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का काम लगातार करते रहे। बंगलोर के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों ने लगातार 80 दिनों तक गौरवपूर्ण हड़ताल करके इस एकता को और भी सुदृढ़ किया। 1981 ई० में बम्बई कंवेन्शन में ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान कमेटी की स्थापना हुई जिसमें आठ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं चालिस उद्योगवार गत फेडरेशनों ने भाग लिया। वास्तव में आई० एन० टी० यू० सी० को छोड़ कर बाकी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें राष्ट्रीय अभियान कमेटी का सदस्य बन गईं। अपने लगातार अभियानों से राष्ट्रीय अभियान कमेटी (एन० सी० सी०) ने मजदूर वर्ग की एकता को और भी मजबूत किया तथा कांग्रेस सरकार की कई जनविरोधी आक्रमणों को परास्त करने में सफल रही। 1982 ई० में एन० सी० सी० (राष्ट्रीय अभियान कमेटी) ने जो प्रथम राष्ट्र व्यापी सफल हड़ताल का आयोजन किया उसमें उसे व्यापक सफलता हासिल हुई जिसने इसकी लोकप्रियता में चार चाँद लगा दिया।

1.5. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलन ने अस्सी के दशक में एक प्रभावशाली मोड़ लिया। 1985 में बंगलौर में सी० आई० टी० यू० ने अपनी ट्रेड यूनियनों का एक राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया। हम लोगों के द्वारा देश भर में चलाये गये इस स्वतंत्र अभियान ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। जब हम लोगों ने अर्जुन सेनगुप्त कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कर उसके रहस्य का पर्दाफाश किया तो उसने सभी मजदूरों को सजग कर दिया और यह सोचने को मजबूर कर दिया कि सबको एकजुट होकर ही इस धमकी के खिलाफ संघर्ष करना होगा। नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन ने सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियोनों की कमेटी (सी० पी० एस० टी० यू०) की नींव डाली। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के तेईस लाख मजदूरों का व्यापक समर्थन प्राप्त किया। उसने सफलता के साथ बी० पी० ई० के वेतन संबंधी निर्देशों के खिलाफ संघर्ष किया। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को लेकर उसने देश व्यापी हड़ताल

का आयोजन किया जिसमें सन् 1987 ई० की तीन दिन व्यापी हड़ताल भी शामिल है।

1.6. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश से भारत सरकार ने जब अपनी आर्थिक नीतियाँ लागू की तो उसके खिलाफ मंजदूरों के संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। परन्तु भारत सरकार की उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने से बी० एम० एस० कतरा गई। फलतः एन० सी० सी० के कामों में कुछ खलल पड़ी। हमने दूसरों को साथ लेकर इन खतरनाक जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश व्यापी आंदोलन प्रारंभ कर दिया जिससे साझा मांगों पर एक नया व्यापक मंच उभरकर सामने आया। सी० आई० टी० यू० ने इस मंच को संगठित करने में अगुआ के रूप में अहम भूमिका निभाई जिसका नाम स्पान्सरिंग कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स अर्थात एस० सी० आई० टी० यू० रखा गया। नरसिंहराव सरकार की इन नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ इस कमेटी ने सम्पूर्ण देश में जोरदार प्रचार-आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा देश व्यापी दो हड़तालों, एक 29 नवम्बर '91 एवं दूसरा 16 जून '92 को उसने आयोजित किया। भारत के मजदूर वर्ग के इतिहास में 25 नवम्बर '92 का वृहद संसद अभियान अब तक का सबसे संगठित संयुक्त प्रदर्शन था।

1.7. सबी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सीटू ने जहाँ सम्भव था एकजुट साझा आंदोलन संगठित किया। उसने प्रत्येक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया तथा समाजवाद के रक्षार्थ संग्राम किया। यहा तक कि मजदूरों के पक्ष में अनेकों मौकों पर अकेले ही लगातार सफल आंदोलन उसने संगठित किया। सभी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों एवं राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को सीटू का समर्थन ने अनेकों विदेशी संगठनों को प्रभावित किया। वस्तुतः सभी महाद्वीपों में सीटू का सम्पर्क क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। सी० आई० टी० यू० ने अधिकाधिक संगठनों के साथ, चाहे उनकी सम्बद्धताएं जो भी हों, द्विपक्षीय सम्बंधों को लगातार विकसित किया है।

1.8. आज की दुनिया के संदर्भ में जब समाजवाद को एक बहुत भारी धक्का पहुँचा है, ऐसी स्थिति में अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने इसका पूरा फायदा लूटना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सभी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों एवं शान्तिप्रिय ताकतों के खिलाफ उसने एक जबर्दस्त जेहाद छेड़ दिया है। तीसरी दुनिया के अनेक देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों का भारी हस्तक्षेप लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को हथिया कर

पाँचों महाद्वीपों में वह सीधा सैनिक हस्तक्षेप कर रहा है। वास्तव में अमेरिकी सरकार की विदेश नीतियाँ सम्पूर्ण विश्व में भारी आक्रामक हो गई हैं तथा उनका सैनिक दस्ता विश्व पुलिस कर्मी की भूमिका अदा कर रहा है। वस्तुतः विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसने पूँजीवादी विश्व को निगल लिया है, पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक लम्बी होती जा रही है एवं विकसित पूँजीवादी देश अपने बोझ को तीसरी दुनिया के देशों के ऊपर लादने का जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में मजदूरवर्ग के तथा तीसरी दुनिया के देशों के जनसाधारण के शक्तिशाली प्रतिरोध के बगैर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के कुचक्र को रोका नहीं जा सकता। आज की परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता को शक्तिशाली एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता जितनी महत्वपूर्ण है, पहले उतनी कभी नहीं हुई। वे ताकतें जो समाजवाद, आत्मनिर्भरता एवं जनवाद में आस्था रखती हैं, उन्हें एकजुट होकर इस निर्णायक संकट की घड़ी में अपने ऊपर आन पड़ी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा करना होगा।

1.9. भारतवर्ष में आई० एम० एफ० द्वारा निर्देशित वित्तीय नीति जनता की जीविका पर व्यापक हमला कर रही हैं। देश की एकता, अखण्डता एवं सार्वभौमिकता आज संकट में है। पी० वी० नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार साम्राज्यवादी दबाव के सामने नतमस्तक हो विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए निर्लज्जता के साथ उसके विनाशकारी शर्तों को मान रही है। भारत ने जब से स्वाधीनता प्राप्त की है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस प्रकार छुट्टा खेलने का मौका कभी नहीं मिला था। इसके विरोध में मजदूर वर्ग का बढ़ता हुआ प्रतिरोध स्वागतयोग्य घटनाविकास है। फिर भी, सभी देशभक्तों को एकजुट कर फिर से इस एकता को सुदृढ़ करना होगा एवं सरकार पर इन नीतियों को छोड़ने के लिए दबाव डालना होगा।

1.10. इस परिस्थिति में अपने देश में साम्प्रदायिक तथा विघटनकारी शक्तियां जान बूझ कर लोगों के ध्यान को दूसरे विध्वंसकारी मुद्दों की ओर मोड़ने की सुनियोजित योजना बना रही हैं। 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने की घटना घटी तथा साम्प्रदायिक विभीषिका की प्रचण्ड लपटें सम्पूर्ण देश में फैल गईं विशेष कर औद्योगिक केन्द्रों में जहां हजारों निरीह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इन भ्रातृत्वघाती दंगों में अनेकों ईमानदार लोग भी प्रभावित हुए। यह देश की अखण्डता एवं एकता के लिए एक बहुत ही गम्भीर चुनौती थी। मजदूरवर्ग में भी साम्प्रदायिकता का जीवाणु बहुत गहराई तक प्रवेश कर

चुका था। अतः हमलोगों को साम्प्रदायिक सद्भाव के आंदोलन को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। हम लोगों को साम्प्रदायिकतावाद तथा तत्ववाद के सभी प्रेतों से डटकर मुकाबला करना होगा, यदि हम मजदूर वर्ग की वृहद् एकता कायम करना चाहते हैं। इस मामले में आत्म संतुष्टि का कोई अवसर नहीं है। हम लोगों को फिर से अपने क्रियाकलाप में पहले की भाँति तेजी लानी होगी जिससे हम इस खतरनाक व्याधि को पूर्ण रूपेण पराजित कर सकें। साम्राज्यवादी शक्तियाँ उल्लासित हो इन साम्प्रदायिक एवं अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर उन्हें मदद पहुँचा रही हैं। वे जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, असम तथा देश के अनेक दूसरे भागों में अलगाववादी प्रवृतियों को मदद देकर बढ़ावा दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो जातिवाद का ढिंढोरा पीट रही हैं, मजदूरवर्ग की एकता को सुदृढ़ करने में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। क्षेत्रीय लोगों को नौकरी देने का आन्दोलन भी वर्गीय एकता के लिए बाधक होता है। यह परिस्थिति हमारे संगठन के लिए एक भयानक चुनौती बन कर आई है। अतः जब तक हम अपनी पूरी ताकत को लामबन्द नहीं करते तथा अपने संगठन को मुख्यधारा से नहीं जोड़ते तब तक हम इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे तथा इन प्रतिक्रियावादी और अलगाववादी विध्वंसकारी ताकतों को पराजित नहीं कर पायेंगे।

1.11. "भारत सरकार की नयी आर्थिक नीतियों एवं सम्प्रदायिकता के खिलाफ" दिल्ली में 15 अप्रैल 1993 ई० को जन संगठनों के द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय कन्वेंशन ने भारी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसमें न केवल ट्रेड यूनियनें ही एकजुट हुईं बल्कि खेतिहर मजदूर, किसान, छात्र, युवक, महिला, लेखक, कलाकार इत्यादि संगठनों से जुड़ी संस्थाएं भी एक साथ एक सार्वजनिक मंच पर आ गईं। जेल भरो आन्दोलन के रूप में 19 अगस्त '93 के देशव्यापी प्रतिवाद आंदोलन तथा 9 सितम्बर '93 को भारत बन्द के आह्वान को सम्पूर्ण भारत में अभूतपूर्व जन-समर्थन मिला। ये सफलतायें एवं प्रगतियां मजदूरवर्ग के बीच एकजुट जन-आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एक नये ज्वार को दर्शाती हैं।

12. सीटू के द्वारा निभाई गई भूमिका की उपलब्धि में जो प्रगति उसे हासिल हुई है, उसके बावजूद हमलोगों ने अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सांगठनिक ढांचा तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया। हमलोगों ने कई बार अखिल भारतीय बैठकों की रिपोर्ट में इन कमजोरियों का उल्लेख किया हैं। परन्तु हमलोगों ने गहराई से किसी भी इन बैठकोंमें उसके विषय में विचार-विमर्श

नहीं किया है और न उसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम ही उठाया है। हमलोगों की कार्य पद्धति में अनेकों त्रुटियाँ घुस गई हैं जिससे हमलोगों के भविष्य की प्रगति में अनेकों बाधायें पैदा हो रही हैं। इन कमजोरियों के कारण अपने अनेक कर्त्तव्यों के पालन मे हम पिछड़ जाते हैं तथा हम मजदूरों के हित में उनसे निपटने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारी शक्ति में गतिरोध आ गया है जिसका प्रभाव हमारी सांगठनिक प्रगति पर पड़ रहा है।- हमारी अखिल भारतीय बैठकें कभी-कभी चालू समस्याओं को लेकर इतनी बोझिल हो जाती हैं, जिससे हमें पर्याप्त समय नहीं मिलता कि हम सांगठनिक त्रुटियों के विषय में विवेचन कर सकें। वस्तुतः यहां मात्र समय का प्रश्न नहीं है बल्कि संगठन के प्रति अपने दृष्टिकोण का सवाल है। यही इस उपेक्षा का वास्तविक कारण है जिसे हमें दूर करना होगा।

2. सांगठनिक परिप्रेक्ष्य

2.1. सीटू के संविधान ने यथार्थ ही अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य की व्याख्या की है जिससे वह बुनियादी रूप से दूसरे केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अलग प्रतीत होता है। सीटू अपने मजदूरों की प्रतिदिन की समस्याओं को लेकर जब आंदोलन करता तब वह उन्हें सामाजिक रूपान्तरण के विषय में भी शिक्षित करता है। पूंजीवादी व्यवस्था को निर्मूल किये बिना मजदूरों की रोजी रोटी की समस्या या जीवन स्तर में टिकाऊ सुधार नहीं किया जा सकता। यह वास्तविकता फिर से स्पष्ट रूप से सोवियत रूस एवं पूर्व यूरोप के देशों में देखी जा रही है जहां पूंजीवाद की वापसी के बाद वहां की जनता बेकारी, मूल्य वृद्धि इत्यादि अवर्णनीय दुर्गति एवं दरिद्रता का शिकार हो रही है तथा उन सभी सामाजिक सुरक्षा उपायों का अन्त हो चुका है जो समाजवादी व्यवस्था में उपलब्ध थे। दूसरी ओर इस घोर संकट और मंदी के परिप्रेक्ष्य में यहां तक कि विकसित पूंजीवादी देशों में भी मजदूर वर्ग एवं आम जनता के जीवन एवं जीविका के ऊपर बढ़ती हुई बेकारी, काम के अवसर की समाप्ति, मुद्रा स्फिति, सभी सामाजिक कल्याणकारी सुविधाओं में कठोरता से कटौती, उदारता के नाम पर काम के अस्थायीकरण आदि के रूप में हमले किये जा रहे हैं। रोजगार की अवधि में स्थायित्व की मूलभूत धारणा को अलविदा कह दिया गया है। "बेरोजगारी से विकास" के आदर्श का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसे हालात में पूंजीवादी शोषण के उन्मूलन की आवश्यकता तथा उस दिशा में अपने मजदूरों को शिक्षित करने की प्रचेष्टा में तेजी लाने के

कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसे प्राप्त करने के लिए तथा शासक वर्ग के नये आक्रमणों से जूझने के लिए सभी मेहनतकश लोगों को लामबन्द करना होगा। यह एक बहुत बड़ा कर्तव्य मजदूर वर्ग, विशेषकर सीटू के ऊपर बरता है जिसे पूरा करना ही होगा।

2.2. इस कर्तव्य को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक मजदूरवर्ग की बहुत अधिक विकसित टुकड़ियां अग्रणी भूमिका नहीं निभातीं। दुर्भाग्यवश हम लोगों ने इस वर्ग को आज की परिस्थिति में उसकी भूमिका के विषय में अवगत नहीं कराया है। यही वह मुख्य कारण है जिससे वह अपनी जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम है। हमें अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सहित असंगठित क्षेत्र में भी काम करना है। बिना एक मजबूत संगठन में संगठित किये यह वर्ग अपनी ऐतिहासिक नेतृत्वकारी भूमिका को अदा नहीं कर पायेगा।

2.3. इस वर्ग को लामबन्द करने में हमने कितनी प्रगति की है वह हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमें और कितना आगे बढ़ना है। हमारे ऊपर जो विशाल कर्तव्य सौंपा गया है उसे भी हमें अनुभव करना होगा। इस वर्ग के आकार को समझकर ही हमलोग आज जिन कमजोरियों के शिकार हुए हैं, उन्हें चिन्हित करेंगे। सन् 1991 की जन गणना की रिपोर्ट के आधार पर देश में कुल 16 करोड़ 39 लाख वेतनभोगी मजदूर हैं। खेतिहर मजदूरों को छोड़कर मजदूरवर्ग का बाकी हिस्सा 8 करोड़ 26 लाख हैं। इनमें 1.2 करोड़ घरेलू उद्योग से जुड़े हुए हैं। जब कि 4 करोड़ 54 लाख लघु गैर-कृषि प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों में कार्यरत हैं। सन् 1990-91 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार संगठित क्षेत्र में मजदूरवर्ग की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है जिनमें 75 लाख निजी या गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि 60 लाख कर्मचारी राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अधिगृहीत सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों में काम करते हैं। 1 करोड़ 25 लाख मजदूर राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्त हैं जिनमें 70 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं 55 लाख केन्द्रीय कर्मचारी जिसमें सुरक्षा विभाग भी शामिल हैं।

2.4. जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है, असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ 66 लाख मजदूर कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में हमलोगों की कमजोरी सबसे अधिक है। यद्यपि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लामबन्द करने के लिए कुछ विशेष कदम हमने फिलहाल उठाये हैं। हमने हाल में कलकत्ता में सफल अखिल भारतीय कन्वेंशन का आयोजन इस क्षेत्र में किया था जिसमें हमारी ताकत उल्लेखनीय रही

है। इस क्षेत्र के मजदूरों का भयंकर शोषण किया जाता है, उन्हें सबसे न्यूनतम मजदूरी मिलती है तथा कार्य की सुरक्षा नहीं है। इस क्षेत्र में आंदोलन की प्रगति की भारी सम्भावना है जो स्पष्ट रूप से सी० आई० टी० यू० द्वारा बुलाई गई असंगठित मजदूरों की 14 जुलाई 1993 की अखिल भारतीय एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के द्वारा परिलक्षित हुई। सी० आई० टी० यू० के लिए यह सुनहला मौका है कि वह इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आंतरिकता से अपने हाथ में ले जिससे मजदूरवर्ग के इस व्यापक हिस्से को ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्यधार में लाया जा सके।

2.5. दशकों से मजदूर वर्ग द्वारा संचालित संघर्ष के फलस्वरूप ट्रेड यूनियन आंदोलन ने कुछ कानून बनवाने में कामयाबी हासिल की है जिससे मजदूरों को कुछ मौलिक सुरक्षा मिली है। उनको सामाजिक सुरक्षा भी कुछ हद तक मिली है। उनको कुछ कल्याणकारी सुविधायें तथा ट्रेड यूनियन अधिकार मिले हैं। वस्तुतः आज संकट की घड़ी में बुर्जुवा वर्ग उनके इन अधिकारों में जहां तक हो सके, कटौती करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर है इन सुविधाओं को जिनके लिए वे न्यायिक दृष्टिकोण से हकदार हैं, को नकारा जा रहा है। इस क्षेत्र की धीमी प्रगति को इस तथ्य से रेखांकित किया जा सकता है कि भारतवर्ष की प्रति एक लाख आबादी के क्षेत्र में सन् 1961 ई० में संगठित क्षेत्र में 278 मजदूर थे वहीं सन् 1991 ई० में यह संख्या मात्र 319 तक पहुँची हैं। उसी अवधि में हम देखते हैं कि तथाकथित रेश्नालाइजेशन के कारण संगठित क्षेत्र में निजीक्षेत्र का हिस्सा घट कर 41 से 29 प्रतिशत पर आ गया है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से में 59.7 से 71.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी के कारण हुई है। लाखों मजदूरों की छँटाई की कीमत पर भारत सरकार अपने इस रूझान को उलटने का प्रयास कर रही है। सन् 1991 के जनगणनानुसार सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार की संख्या 1.85 करोड़ थी, जब कि निजी क्षेत्र में वह 74 लाख थी। सन् 1991 ई० में संगठित क्षेत्र के मजदूरवर्ग का क्षेत्रगत विवरण निम्नलिखित है-

2.5. सन् 1989 में संगठित रोजगार (लाखों में)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1. कृषि एवं हानिंग	5.65	8.70	14.35
2. खदान तथा खनन	9.57	0.97	10.54
3. मैन्युफैक्चरिंग	10.48	43.89	62.37

4.	विद्युत, गैस, जल	8.66	0.41	9.07
5.	निर्माण	11.80	0.64	18.44
6.	थोक या फुटकर व्यापार	1.44	2.86	4.03
7.	परिवहन जखीरा एवं संचार साधन	30.26	0.51	30.77
8.	वित्त या बीमा इत्यादि	11.16	2.43	13.69
9.	जन समुदाय तथा सामाजिक सेवा	88.13	14.29	102.42
	कुल	185.16	74.70	259.86

2.6. यदि प्रत्येक क्षेत्र मे हम अपनी संगठित शक्ति का आकलन करें तो हम यह पायेंगे कि हमें इस विशाल क्षेत्र को संगठित करने के लिए अब भी और कितना आगे जाना है। उद्योगों में नियुक्त मजदूरों के अनुपात में हमारी सदस्य संख्या अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत करती हैं। टेक्स्टाइल - 1 प्रतिशत से कम, लोहा और इस्पात- 15%, इंजीनियरिंग- 23%, सभी परिवहन- 1% से कम, खान तथा खनन (माइनिंग तथा क्वारिंग)- 10% बागान (प्लान्टेशन)-चीनी- 10%, सीमेन्ट- 3%, निर्माण- 3% पोर्ट तथा डक-10%। असंगठित क्षेत्र की स्थिति तो काफी शोचनीय है।

2.7. अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से सी० आई० टी० यू० की सदस्य संख्या की शक्ति से तुलना करने में कठिनाई है। भारत सरकार को जाँच की जो तालिका पेश की गई है उसमें कुछ ट्रेड यूनियन केंद्रों ने अतिश्योक्ति की है, जिससे तुलना करने में कठनाई है। जांच के लिए खेतिहर मजदूरों को शामिल करने के फैसले के पश्चात, जाँच की कठिनाई को बताने के बावजूद भी भारत में खेतिहर मजदूरों की सदस्य संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सन् 1989 में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का कृषि क्षेत्र में दावा 43 लाख तक पहुँच चुका है। बहरहाल उन सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या जिन्होंने जांच के लिए अपनी तालिका पेश की है 2 करोड़ 40 लाख के करीब हैं। कुछ प्रतिष्ठानों में सभी यूनियनों की सदस्य संख्या उद्योग के आकार से भी दुगनी है। यूनियनों की सदस्य-संख्या के दावे की तुलना करते वक्त इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का दावा निम्नलिखित है - आइ० एन० टी० यू० सी० 54 लाख, एच० एम० एस=44 लाख, बी० एम० एस०=41 लाख, ए० आई० टी० यू० सी=30 लाख,

सी० आई० टी० यू०=24 लाख, एच० एम० के० पी०=16 लाख, यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)=12 लाख यू० टी० यू० सी०=8 लाख, एन० एल० ओ०= 7 लाख तथा टी० यू० सी० सी०=5 लाख।

2.8. खेतिहर मजदूरों की सदस्य संख्या के विषय में विभिन्न संगठनों द्वारा दिये गये आंकड़े निम्नांकित हैं - आइ० एन० टी० यू० सी०=9 लाख, (17%), एच० एम० एस०=7 लाख (16%), बी० एम० एस०=4 लाख (10%), ए०आइ० टी० यू० सी०= 8 लाख (27%), सी० आई० टी० यू०=92000 (4%), एच० एम० के० पी०=1.19 लाख (7%) यूटीयूसी (एल एस)=6 लाख (52%), यूटीयूसी=3 लाख (40%) एल० एल० ओ०= (25%) टी- यू० सी० सी०= 2.3 लाख (46%)। सी० आई० टी० यू० की सदस्य संख्या कृषि क्षेत्र में प्रमुखतः राज्य अधिगृहीत कर्मों में है।

2.9. चूंकि खेतिहर मजदूरों की सदस्यता की जांच में उतनी कड़ाई नहीं है लम्बे दावा करना आसान हो जाता है। अतः कुछ ट्रेड यूनियनों के द्वारा सदस्यता में अधिक बढ़ोत्तरी का दावा किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस प्रकार की जाली सदस्यता दिखाने की प्रतियोगिता में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं महसूस की। हमें अपनी सदस्यता की ज़ड़ को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर वर्ग की भारी संख्या हमारे विराट कर्तव्य का बोध कराती है जिससे हम मजदूरवर्ग के एक बड़े हिस्से को अपने झण्डे के नीचे लावें। हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अपने संगठन को मजबूत बनाने का फैसला नहीं लिया है। इस विषय में हमें योजनाबद्ध ढंग से बढ़ने की आवश्यकता है जिससे सम्पूर्ण भारतवर्ष में हमारे संगठन की शक्ति सुनियोजित ढंग से बढ़ सके। अतः सीटू को एक क्रमबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए जिससे वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने संगठन की प्रगति कर सके तथा यह भी जौंच पड़ताल करे कि वह कितनी दक्षता के साथ अपनी इस योजना को कार्यान्वित करता है। इसी तरह से राज्यव्यापी रणनीति भी तैयार करनी होगा जिससे हम अखिल भारतीय योजना के तहत राज्य में सुनियोजित ढंग से अपनी योजना को लागू कर सकें।

2.10. हमें कुछ राज्यों पर विशेष रूप से महत्व देना होगा। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र में, जहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन में वामपंथियों का कभी वर्चस्व हुआ करता था, अब हम वहाँ पीछे पड़ गये हैं तथा वहाँ अब प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ प्रमुख स्थान ग्रहण कर रही हैं। उसी तरह से बंगलौर एवं हैदराबाद के

सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के कर्मचारी आंदोलन में हमारी कमजोरी एक गम्भीर समस्या है। अतः हमें यह कोशिश करनी होगी कि स्थिति में सुधार हो सके। बम्बई और अहमदाबाद के टेक्सटाइल केंद्रों में अपनी शक्ति बिना बढ़ाये अखिल भारतीय टेक्सटाइल मजदूरों के आंदोलन की बात सोचना कोई अर्थ नहीं रखता।

2.11. अतः सीटू को अपने संगठन चको विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार करनी चाहिए जिससे हम उन इलाकों में जहां हम कमजोर हैं विशेष ध्यान देने में सक्षम हो सकें। सिर्फ इसी से समय-समय पर चलाये जाने वाले हमारे आंदोलन जबर्दस्त राष्ट्रव्यापी प्रभाव छोड़ सकते हैं। पूरे देश में शक्तिशाली ट्रेड यूनियन एकता कायम करने के मुद्दे पर विशेष रूप से जोर देना होगा। इस संबंध में सी० आई० टी० यू० केंद्र को राज्य कमेटी की सलाह से प्राथमिकता के हिसाब से फैसला लेना चाहिए जिससे अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के अपने निर्णय को हम सफलता से कार्यान्वित कर सकें।

3. हमारी सांगठनिक कमजोरियाँ

3.1. सी० आई० टी० यू० के स्थापना सम्मेलन में, हमारी सबसे अधिक शक्ति प० बंगाल एवं केरल के साथ तामिनाडू में थी। आन्ध्र प्रदेश एवं पंजाब को छोड़कर जहाँ हमारी कुछ प्रगति हुई है, राष्ट्र के बाकी हिस्सों में हमलोग ताकतवर शक्ति के रूप में नहीं उभर सके जिससे हम मजदूरवर्ग को प्रभावशाली ढंग से लामबन्द कर सकें। यह असमान प्रगति न केवन आज भी जारी है बल्कि इसमें और तेजी आ गई है। हमारी दो तिहाई ताकत तीन प्रमुख राज्यों में हमारे संगठन के शुरुआत से ही उभरी है। इन तीनों राज्यों में हमारा संगठन अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ रहा है जबकि दूसरे राज्यों में पहले की भाँति ही धीमी गति है।

3.2. भारत के औद्योगिक मानचित्र में प० बंगाल एवं केरल में हमारी मजबूत स्थिति, निर्णायकस्थान ग्रहण नहीं करती। भारतवर्ष में महाराष्ट्र अकेले 20% से अधिक औद्योगिक उत्पादन करता है जहां हम काफी कमजोर हैं। यहां मजदूरवर्ग का एक विशाल हिस्सा अंधराष्ट्रवादी, साम्प्रदायिक तथा अवसरवादी तत्वों द्वारा संचालित होता है। गुजरात, जो भारत का दूसरा औद्योगिक राज्य है, यहाँ सी० आई० टी० यू० का अस्तित्व मात्र सांकेतिक है। वर्ग सहयोंगवादियों के नेतृत्व की वजह से यहाँ मजदूरवर्ग की लड़ाकू ताकत प्रभावशाली नहीं है। बंगलौर और हैदराबाद के सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक कॉम्प्लेक्सों में आधुनिक

औद्योगिक मजदूरवर्ग की ताकत भारत के औद्योगिक मानचित्र में अग्रीम पंक्ति में है। अभी विगत कुछ दिनों से कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में तुलनात्मक दृष्टिकोण से तेजी से प्रगति हो रही है।

3.3. तमिलनाडू में यद्यपि हमारी बड़ी उपस्थिति है फिर भी राज्य में हमारी ताकत मजदूरों की बढ़ती हुई संख्या की तुलना में कम है। दिल्ली महानगर क्षेत्र में उल्लेखनीय औद्योगिक अग्रगति हुई है लेकिन हमारा अस्तित्व प्रमुखतः असंगठित क्षेत्र में है। जब तक हम अपनी सामर्थ्य को इतना नहीं बढ़ पाते कि हम इन राज्यों के लाखों संगठित मजूदूरों को मैदान में उतार सकें तब तक हमारे देश व्यापी आंदोलन का प्रभाव केन्द्रीय सरकार पर असर नहीं डाल सकता है।

3.4. इसलिए अपनी रणनीतिक योजना में हमें उन क्षेत्रों को सबसे अधिक महत्व देना पड़ेगा जहां मजदूरवर्ग बड़ी संख्या में संकेंद्रित हैं। हमें गहराई से विश्लेषण करना होगा कि हमारी ये कमजोरियां हमारे संगठन के ऊपर क्यों इस प्रकार हावी हैं ताकि हम इन समस्याओं का समुचित हल निकाल सकें। सी० आई० टी० यू० केंद्र को उन राज्यों की कमेटियों के साथ बैठकर एक कार्यक्रम तैयार करना होगा जिससे हम इन राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर अपने आंदोलन को मजबूत कर सकें जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर वर्ग की चोट करने की शक्ति और अधिक जोरदार तरीके से प्रतिबिम्बित हो सके।

3.5. हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हमारी कमजोरी हमारी धीमी प्रगति की एक चिरस्थाई समस्या है जो हमारे सभी आंदोलनों पर प्रभाव डालती है। यद्यपि विगत दो वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में हमारी गतिविधियां सदस्यता एवं आंदोलन की दृष्टि से कुछ प्रगति पर हैं तथापि इन क्षेत्रों या राज्यों में हमारी प्रगति अत्यन्त धीमी गति पर हैं। हमारी कमजोरी का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि इन क्षेत्रों में ताकतवर जनवादी एवं कृषि आंदोलन की कमी है। यहां की उत्पीड़ित जनता के मजबूत सामंती एवं अर्द्ध सामंती प्रभाव में बने रहने तथा इन क्षेत्रों में विशाल जन समुदाय पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत अपीलों के अस्तित्व ने देश में साम्प्रदायिक एवं अलगाववादी शक्तियों को उनके शिकार के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया है। यहां तक कि इन विनाशकारी तत्वों के प्रभाव से मजदूरवर्ग का एक हिस्सा भी प्रभावित हुआ है जिससे मजदूरवर्ग एवं किसानों की एकता के पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आरक्षण एवं अयोध्या इन दोनों मुद्दों ने मजदूरवर्ग एवं जनता के एक हिस्से में जबर्दस्त पकड़ कायम

क्री है जबकि हरिजनों एवं नीची जाति के लोगों के ऊपर उत्पीड़न इन क्षेत्रों में चरम सीमा पर पहुँच चुका है।

3.5.1. असंगठित मजदूरों, खेतिहर मजदूरों एवं गरीब किसानों का एक बड़ा हिस्सा छोटी जाति एवं जनजातियों का है और ये पूंजीवादी शोषण तथा समाजिक उत्पीड़न दोनों के ही शिकार है। यहां तक कि बहुत से मुसलमान एवं ईसाई भी इन क्षेत्रों में सामाजिक उत्पीड़न के शिकार हैं। हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इन स्थितियों का ठीक से विश्लेषण नहीं किया है जिससे कि उनके प्रतिरोध का सही रास्ता एवं साधन ढूंढा जा सके। इन क्षेत्रों के मजदूर झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, आदि पृथकतावादी आंदोलनकारियों के उग्रवाद के शिकार हो रहे हैं। जब भी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष चोटी पर पहुँचता है तभी साम्प्रदायिक दंगें इन क्षेत्रों में हमारे आंदोलन को बहुत पीछे ढकेल देते हैं।

3.5.2. हमने कभी भी नीची एवं गरीब तबके के लोगों पर सामाजिक उत्पीड़न के सवाल को नहीं उठाया है तथी बड़ी जाति के लोगों द्वारा उन पर ढाये जा रहे जुल्म और शोषण के खिलाफ संघर्ष नहीं छेड़ा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा अल्पसंख्यक उत्साह के साथ हमारे ट्रेड यूनियन के क्रियाकलापों में हिस्सा नहीं बंटाते हैं।

3.6. उपर्युक्त बातों पर गौर करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि सी० आई० टी० यू० को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अपने संगठन की कमजोरियों को दूर करने के लिए गंभीरता से सकारात्मक कदम उठाना होगा। हम इन त्रुटियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करते हैं।

3.6.1. हमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों के क्रिया कलापों में समन्वय स्थापित करना चाहिए जिससे उन क्षेत्रों में अपने कार्यों की नियत अवधि पर समीक्षा कर सकें तथा उसे मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकें।

3.6.2. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के आम मजदूरों, खास कर असंगठित मजदूरों में शिक्षा के प्रसार के लिए व्यवस्थित प्रचार अभियान चलाना होगा जिससे उन्हें संघर्ष की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

3.6.3. कैडरों की प्रगति के लिए विशेष कदम उठाना होगा। खास करके समाज के पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के बीच जिससे उनके द्वारा हम हिन्दी भाषी क्षेत्रों के मजदूरवर्ग के सबसे उपेक्षित एवं पददलित वर्ग के पास पहुँच सकें।

3.6.4. हिन्दी भाषी राज्यों में विशेष क्लास लेना होगा जिससे हम एक व्यवस्थित शिक्षा के कार्यक्रम का ढांचा तैयार कर सकें।

3.6.5. एक या दो सालों के लिए एक योजना की रचना सी० आई० टी० यू० की राज्य कमेटियों को केन्द्र के सहयोग से करनी ही होगी, जिसमें उन्हें कुछ निश्चित लक्ष्य जैसे सदस्यता, कैडरों की प्रगति, उद्योगों तथा केन्द्रों की प्राथमिकता तथा आंदोलन का प्रोग्राम आदि तय करना होगा।

3.6.6. जनरल कौन्सिल तथा कार्यकारिणी कमेटी में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अपने संगठन एवं जन आंदोलनों की प्रगति के विषय में नियत अवधि में चर्चा करनी होगी।

3.6.7. प्रकाशनों, पत्राचारों, परिपत्रों में हिन्दी का प्रयोग करना होगा जिससे अंग्रेजी नहीं जानने वाले कॉमरेड सी० आई० टी० यू० के साहित्य और नीतियों को बहुत अच्छी तरह से समझ कर ग्रहण कर सकें।

4. सी० आई० टी० यू० केन्द्र की कार्य पद्धति

4.1. सी० आई० टी० यू० के केन्द्रीय प्रधान कार्यालय को ऊपर से नीचे तक संगठन को मजबूत बनाने में एक अहम निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी। अतः केन्द्रीय कार्यालय की उचित कार्य पद्धति अति आवश्यक है यदि हम अपने सांगठनिक उत्तरदायित्व को प्रभावशाली तरीके से सम्पन्न करना चाहते हैं।

4.2.1. सी० आई० टी० यू० केंद्र ने निम्नलिखित कदम अपनी कार्य-पद्धति को सुधारने की दृष्टि से उठाया है। सचिवालय के उपस्थित सदस्यों की प्रतिदिन बैठक रोजमर्रे की समस्याओं पर चर्चा के लिए होगी। इन बैठकों में सचिवालय के सदस्यों के दौरे के कार्यक्रम पर भी विचार किया जायेगा। इन बैठकों में सचिवालय के सदस्यों द्वारा विभिन्न बैठकों की रिपोर्ट को भी, जिसमें वे उपस्थित थे, पेश करना होगा। परन्तु ये बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं। बहरहाल, परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथा बैठकें कुछ कम अनियमित हैं। इसमें संदेह नहीं कि सी० आई० टी० यू० केन्द्र की कार्यपद्धति में सुधार में इससे मदद मिली है। फिर भी इसे नोट किया जाय कि जो फैसले किये जायें उन्हें कार्य रूप में परिणत करने में तत्परता बरती जाये तथा उसकी जांच पड़ताल भी नियमित रूप से हो।

4.2.2. विस्तारित चर्चा के बाद सचिवालय के सदस्यों के कार्य के आवंटन को भी अन्तिम रूप दिया गया है। लेकिन इन आवंटित कार्यों को लागू करने में अनेकों अड़चनें हैं। सचिवालय ने इन आवंटित कार्यों को लागू करने की अभी तक उचित समीक्षा नहीं की है। अन्य आवश्यक गतिविधियों में जुड़े रहने कोइन खामियों के लिये उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सी० आई० टी० यू० केन्द्र का सम्पूर्ण क्रियाकलाप प्रमुखतः महासचिव की समन्वयकारी भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। उनकी सही देखरेख के बीना कार्य में गफलत आ सकती है तथा केन्द्र में कार्यरत कामरेडों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी प्राथमिकताओं के केन्द्र ओझल हो जा सकते हैं। सचिवालय के सामूहिक क्रियाकलाप की बहुत हद तक जिम्मेदारी सहासचिव के ऊपर है। प्रधान कार्यलय के बाहर उनके दौरों के कार्यक्रम को इस ढंग से तय करना होगा जिससे केन्द्र के कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हों।

4.2.3. हमने सम्पूर्ण सचिवालय के सदस्यों की तीन महीनों पर एक बार बैठक नियमित रूप से करने का फैसला किया था जिससे हमारे क्रियाकलापों की पूर्ण समीक्षा हो सके तथा आवश्यक नीतिगत बातों पर विचार किया जा सके। ये बैठकें आवश्यक विषयों पर नीति संबंधी फैसले लेने में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होती थीं। यद्यपि सीटू के सचिवालय में 31 सदस्य हैं। (जिनमें दो की मृत्यु हो चुकी है) तथापि इन बैठकों में औसत उपस्थिति लगभग 15 है। यह आवश्यक है कि इन बैठकों में अधिकाधिक पदाधिकारियों की उपस्थिति की गारंटी करने के लिए हम कारगर कदम उठायें। कुछ पदाधिकारी सी० आई० टी० यू० केन्द्र के साथ नियमित सम्पर्क नहीं रखते तथा ज्वलन्त समस्याओं पर अपनी सलाह तथा विचार व्यक्त नहीं कर पाते। सचिवालय के जो सदस्य केन्द्र में काम नहीं करते उन्हें दूसरे राज्यों में कार्य का भार लेने के लिए या अखिल भारतीय कुछ समस्याओं को हल करने में केन्द्र की सहायता के लिये अपनी सेवाएं देनी होंगी। इससे सचिवालय के सामूहिक क्रियाकलापों में अधिक सक्रियता लाने की गारंटी होगी।

4.2.4. सी० आई० टी० यू० केन्द्र में कार्यरत कामरेडों की हिस्सेदारी को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए स्टॉफ सदस्यों की माहवारी बैठक बुलाकर कार्यालय के कार्यों में प्रगति के लिए उनकी सलाह लेने का फैसला लिया गया था। फिर भी नियमित माहवारी बैठकें नहीं हो सकीं। इस व्यवस्था पर विशेष

महत्व देना होगा जिससे कार्यालय के क्रिया कलाप में आगे सुधार लाया जा सके। स्टॉफ के सदस्यों की शिक्षा के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा।

4.3. सी० आई० टी० यू० को अखिल भारतीय कार्यकलापों में समन्वय तथा अनेकों प्रकार के दूसरे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। सी० आई० टी० यू० केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों की झांकी निम्नलिखित है -

4.3.1. दो मासिक पत्रिकाओं-वर्किंग क्लास (अंग्रेजी) और सी० आई० टी० यू० मजदूर (हिंदी), दो द्विमासिक पत्रिकाओं- द वॉयस ऑफ वर्किंग ओमैन (अंग्रेजी) तथा 'कामकाजी महिला' (हिन्दी) का प्रकाशन।

4.3.2. यूनियनों, राज्य कमेटियों तथा फैडरेशनों द्वारा केन्द्र को भेजे मामलों को केंद्र एवं राज्यों की सरकारों तथा प्रबन्धकों के पास पेश करना।

4.3.3. सी० आई० टी० यू० केन्द्र को व्यक्तिगत रूप से या पत्रों के माध्यम से कोई भी विषय यूनियनों द्वारा भेजे जाने पर केन्द्र द्वारा उचित सलाह और मार्गदर्शन देना।

4.3.4. जब भी राज्य कमेटियों या उद्योगगत फेडरेशनों की बैठकों में बुलाया जाय वहां उपस्थित रहकर उनकी बातचीत में उनका मार्गदर्शन करना।।

4.3.5. राज्य स्तर या अखिल भारतीय महत्व के सम्मेलनों, कन्वेंशनों, तथा सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में हिस्सा लेना।

4.3.6. विभिन्न उद्योगों में वेतन समझौता वार्ता में रास्ता दिखाना तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के वेतन समझौते में हिस्सा लेना।

4.3.7. राज्य कमेटियों, उद्योगगत फेडरेशनों को सामयिक महत्व के अनेकों मुद्दों पर समय-समय पर परिपत्र (सर्कुलर) जारी करना।

4.3.8. अत्यावश्यक महत्व के मुद्दों पर नीतिगत फैसला करना तथा विशेष मामलों पर उपयुक्त नीतिगत निर्णय के लिए पूर्ण सचिवालय के सुपुर्द करना।

4.3.9. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर समाचार पत्र समूहों को बयान जारी करना तथा इन मुद्दों पर सीटू के मत को प्रकट करना।

4.3.10. नियमित रूप से दूसरी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा उद्योग गत फेडरेशनों से सम्पर्क स्थापित करना। भारतीय ट्रेड यूनियनों की प्रायोजित कमेटी, सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की कमेटी तथा जन संगठनों के मंचों के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना।

4.3.11. विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर आयोजित त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लेनेवाले सी० आई० टी० यू० के प्रतिनिधियों का मार्ग दर्शन करना तथा राष्ट्रीय महत्व की बड़ी द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना।

4.3.12. सचिवालय के सदस्य, जो कुछ उद्योगों के भारप्राप्त हैं या कुछ विशेष शाखाओं की गतिविधियों से जुड़े हैं उनमें उन्हें अहम भूमिका निभानी पड़ती है। केन्द्र को इन कार्यकलापों की नियमित देख-रेख करनी पड़ती है।

4.3.13. संसद में मजदूरों से सम्बन्धित मुद्दों को सांसदों की मदद से उठाना तथा उन्हें मुद्दों की संक्षिप्त जानकारी देना। जब भी मजदूरों पर दमनचक्र चलाया जाता है तथा जब भी आंदोलन के समय ट्रेड यूनियनों द्वारा किसी सांसद की मांग की जाती है उस समय सांसदों के दौरे की व्यवस्था करना।

4.3.14. केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जांच में शरीक होना संस्थाओं की समबद्धता संबंधी रेकार्ड को नियमित रखना तथा यूनियनों को समबद्धता का प्रमाण पत्र देना।

4.3.15. आई० एल० ओ०, डब्लू० एफ० टी० यू० तथा सी टी० यू० सी० से घनिष्ठ संबंध रखना।

4.3.16. भारत के बाहर के बिरादराना ट्रेड यूनियनों से नियमित संबंध स्थापित करना, विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की व्यवस्था करना, पासपोर्ट एवं वीसा इत्यादि के लिए कामरेडों को सहयोग करना। विदेश जानेवाले कामरेडों को संक्षिप्त जानकारी देना।

4.3.17. श्रम एवं ट्रेड यूनियनों से संबंधित समस्याओं के ज्ञापन को विभिन्न आयोगों, कमेटियों एवं आइ० एल० ओ० को पेश करना।

4.3.18. मजदूरवर्ग की समस्याओं एवं दूसरे संबंधित मुद्दों पर समाचार पत्रों (प्रेस) की कतरन को संभालकर रखना तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।

4.3.19. गैर सम्बद्ध यूनियनों जैसे रेलवे इत्यादि की सहायता करना।

4.3.20. पूर्ण सचिवालय, कार्यकारिणी समिति, जनरल कौंसिल तथा सम्मेलनों की बैठकों एवं सभाओं की पूर्व तैयारी करना।

4.3.21. वर्तमान समस्याओं पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में पुस्तिका का प्रकाशन तथा उनकी बिक्री का प्रबन्ध करना।

4.3.22. जब कभी भी राज्य कमेटियों, फेडरेशनों तथा बिरादराना ट्रेड यूनियनों तथा संस्थाओं द्वारा कोई प्रस्ताव आता है तो वहां ट्रेड यूनियन क्लास की व्यवस्था करना तथा उसे चलाना।

4.3.23. केन्द्र के पास प्रेषित अनुशासनीय मुद्दों की जांच पड़ताल करना तथा हस्तक्षेप करना।

4.4. केन्द्र द्वारा उठायी गई जिम्मेदारी की प्रकृति को देखते हुए यह समझा जाता है कि वर्तमान व्यवस्था काफी अपर्याप्त हैं अतः इसे मजबूत करने की शीघ्रतिशीघ्र आवश्यकता है यदि हम अपने ऊपर दी गई सभी जिम्मेदारियों को प्रभावशाली तरीके से सम्पन्न करना चाहते हैं। वर्तमान में इनमें से बहुत से कार्य आकस्मिक रूप से सम्पन्न हुए हैं या बाकी पड़े हुए हैं।

4.5. सी० आई० टी० यू० केन्द्र द्वारा कार्य-आवंटन की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि फैसले समय पर कार्यान्वित नहीं किये जाते हैं। केन्द्र से कार्यरत सभी पदाधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा किये बिना कामों को पूर्ण रूपेण लागू कराना सम्भव नहीं हो पायेगा। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्काल ही अधिकाधिक सामूहिक भावना को लागू करने की आवश्यकता है। कभी-कभी मुद्दों की सही जानकारी एवं समन्वय की कमी से सही ढंग से काम नहीं हो पाता। व्यक्तिगत कार्यों का कुल योगफल यह होता है कि कारगर ढंग से सामूहिक कार्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस संबध में सचिवालय के उन सदस्यों को जो केन्द्र से कार्य सम्पन्न करते हैं, को अधिक से अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जब तक केन्द्रीय कार्यों में मौजूद कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता तब तक नीचे से आदेशों को पालन कराने की सचिवालय की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती रहेगी। यह भी देखा गया है कि केन्द्र द्वारा बहुत से कार्यों पर अमल नहीं किया जा सका है क्यों कि केन्द्र में दक्ष कामरेडों की कमी है। जब तक राज्य कमेटियां कुछ प्रमुख कामरेडों को सीटू केन्द्र में काम करने के लिए नहीं भेजती हैं तबतक अपनी सक्रियता को बढ़ाने में तथा प्रभावशाली तरीके से कामों पर अमल करने में हमें बेहद कठिनाई होती रहेगी।

4.6. प्रति सदस्य 20 पैसे का वर्तमान समबद्धता शुल्क केन्द्र के खर्चों को पूरा करने में पूर्णतः अक्षम है। सी० आई० टी० यू० की स्थापना के समय से समबद्धता शुल्क वही रह गया है। सिर्फ बम्बई सम्मेलन में ही कुल रकम सी० आई० टी० यू० केन्द्र को दी गयी थी जबकि राज्य कमेटियों को अतिरिक्त लेवी की उगाही करनी पड़ी थी। फिर भी सन् 1970 ई० से वस्तुओं की कीमत पांच

गुनी बढ़ गई है तथा इतने कम समबद्धता शुल्क से सी० आई० टी० यू० केन्द्र के कामों को कारगर ढंग से चलाना सम्भव नहीं है। विशेष कार्यों के लिए और अधिक कामरेडों को नियुक्त करने के लिये यूनियनों को केन्द्र की सहायता करनी होगी। अगले सम्मेलन में हम सी० आई० टी० यू० के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे जिसमें प्रति सदस्य 50 पैसे सम्बद्धता शुल्क के रूप में 1993 से लागू माना जायेगा एवं 1994 में वसूल किया जायेगा।

4.7. यद्यपि हमारे रिकार्ड के अनुसार हमारी सदस्य संख्या 25 लाख है, यूनियनें औसतन 16 लाख सदस्य-संख्या का सम्बद्धता शुल्क केन्द्र को दे रही हैं। सिर्फ सम्मेलन के अवसर पर भारी संख्या में सदस्यों का सम्बद्धता शुल्क साधारणतः जमा पड़ता है। हमें इस आदत को छोड़ना होगा। कुछ राज्यों में सम्मेलनों में राज्य नेतृत्व सम्बद्धता शुल्क जमा करने के लिए दबाव नहीं डालते जो कि प्रतिनिधि-मण्डल भेजने की पूर्वशर्त हैं। कम दर से सम्बद्धता शुल्क इकट्ठा करना भी इसके लिये जिम्मेदार है। दूसरी घटना यह है कि अखिल भारतीय सीटू सम्मेलन के समय भी सभी यूनियनें अपना सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करतीं। राज्यों के अनुसार चुनाव की रीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ यूनियनें केन्द्र को उसका बकाया न चुकाये। ऐसी धारणा है कि राज्यों के द्वारा सीधे प्रतिनिधि निर्वाचन के फलस्वरूप छोटी यूनियनें एवं कामकाजी औरतें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं पातीं। इस धारणा का कहां तक आधार है इसकी सही जानकारी हासिल करनी पड़ेगी जिससे, जरूरी होने पर इसमें सुधार किया जा सके।

5. राज्य कमेटियों का कार्यकलाप

5.1. सी० आई० टी० यू० के ढांचे में राज्य कमेटियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि अखिल भारतीय संगठन के फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रमुखतः राज्य कमेटियों पर निर्भर करती हैं कि वे किस प्रकार इन पर अमल करती हैं। सीटू केन्द्र द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जो काम पूरे किये जाते हैं; राज्य कमेटियों द्वारा राज्य स्तर पर भी उन्हें ही पूरा करना पड़ता है। राज्य कमेटियों की यह भी जिम्मेदारी है कि राज्य स्तर पर साझा मुद्दों के आधार पर राज्य के मजदूर वर्ग के एकजुट आंदोलन के विकास के लिये काम करे।

5.2. बहुत सी राज्य कमेटियों ने आत्म समालोचनात्मक दृष्टि से अपने कार्यों की समीक्षा की है। अपने रोजाना के कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में से उन्होंने

इसका अध्ययन किया है। जो सबसे आवश्यक काम है वह यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे देश के एकजुट मजदूर आंदोलन एवं जनवादी आंदोलन की अधिकाधिक जिम्मेदारी लें।

5.3. राज्य कमेटियों को चाहिए कि वे साल में आमतौर से तीन या चार बार बैठकें करके नियत अवधि पर अपने कार्यों की समीक्षा करे तथा आंदोलन की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें। साधारणतः राज्य कमेटियों की बैठकें नियमित होती हैं। मात्र नियमित बैठकें ही राज्य कमेटियों के व्यवस्थित कार्यकलापों को जाहिर नहीं कर सकती हैं। क्या बैठक की ठीक ढंग से तैयारी की गई है, क्या वहां केवल कार्यकलापों की सूचना भर दी जाती है या नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती है, क्या कमेटी के द्वारा किये गये कार्यों की सही जांच होती है, क्या उसमें नुकसानदेह विचारों एवं सिद्धान्तों के खिलाफ व्यवस्थित संघर्ष किया जाता है, क्या संगठन को और मजबूत बनाने की बात पर सही ढंग से जोर दिया जाता है। यह सब प्रश्न है जो राज्य कमेटियों के कार्यकलापों के चरित्र को निर्धारित करने के लिए जरूरी हैं।

5.4. राज्य कमेटियों की बैठकों में कमेटी के सदस्यों की कम उपस्थिति के कारणों का हमें पता लगाना पड़ेगा तथा इन कारणों को दूर करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अभी तक हमने इस पद्धति को लागू नहीं किया है कि यदि कोई सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसे राज्य कमेटी के महासचिव को यह सूचित करना होगा कि वह किन कारणों से बेठक में शामिल न हो सका तथा अपनी अनुपस्थिति के लिए उनसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। वे सदस्य जो बिना अग्रिम सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, बैठक में उनसे अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए।

5.5. साझा समझ बढ़ाने के लिए किये गए कार्यों की सही समीक्षा तथा संगठन की कार्य पद्धति की आत्म समालोचनात्मक जांच के लिए यह आवश्यक है कि महासचिव अपनी लिखित रिपोर्ट राज्य कमेटी को प्रस्तुत करे। वैसे भी हमारी बहुत सी राज्य कमेटियों ने लिखित प्रतिवेदन के महत्व को नहीं समझा है। अनुभव यह बताता है कि जब लिखित प्रतिवेदन पेश किया जाता है तो राज्य कमेटी की बैठक में चर्चा का स्तर आमतौर पर ऊँचा और प्रभावशाली होता है।

5.6. अनेकों राज्य कमेटियों में प्रत्येक इकाइयों द्वारा मौखिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट पेश करने की प्रथा हो गई है जो राज्य कमेटियों की बैठकों का आधा से अधिक समय ले लेती है। इसके बाद कुछ समय प्रस्तावों को पेश करने में लग

जाता है तथा मुश्किल से ही कुछ समय सैद्धान्तिक मुद्दों पर चर्चा तथा यूनियनों द्वारा संचालित संघर्षों की समीक्षा के लिए मिलता है। बहुत सी यूनियनें अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट ठीक समय पर राज्य के कार्यालय में नहीं भेजतीं फलतः महासचिव के द्वारा पेश किया हुआ प्रतिवेदन आंशिक ही रह जाता है। राज्य स्तर की समस्याओं के साथ संबंध न रखने वाली स्थानीय सूचनाओं को अधिक विस्तार से देने की रीति का दृढ़ता से परित्याग करना होगा। कुछ राज्यों में महासचिव के प्रतिवेदन को यूनियनों द्वारा संचालित संघर्षों के अनुभवों को बिना विश्लेषित किये सिर्फ घटनाओं का सूचीपत्र बनाने का रूझान है। हमें स्थानीय अनुभवों को पूरे राज्य के कामरेडों की धरोहर बनानी होगी।

5.7. राज्य कमेटी की बैठकों में चर्चित मुद्दों पर सरसरी निगाह डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बैठकों में चर्चित मुद्दों में बहुत सी समानतायें हैं। फिर भी, तात्कालिक आंदोलनों की समस्याओं के ऊपर ही अधिकाधिक महत्व दिया जाता है। जिला कमेटियों या उद्योगवार फेडरेशनों के कार्यकलापों पर साधारणतः विचार नहीं किया जाता है। यहां तक कि इन बैठकों में सब-कमेटियों द्वारा किये गये कार्यों की भी समीक्षा नहीं होती हैं। विभिन्न सेक्टरों या अंचलों में भिन्न-भिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों की ताकत तथा सीटू की स्थिति को किस तरह से विभिन्न उद्योगों में बढ़ाया जाय इस बारे में बहुत कम चर्चा होती है। सीटू के कार्यलाप को कमजोर क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से विकसित करने के प्रयास को विषय सूची का हिस्सा नहीं बनाया जाता। यद्यपि "सांगठनिक मुद्दों" को समय-समय पर विषय सूची पर रखा जाता है परन्तु उनके ऊपर चलताऊ तरीके से ही चर्चा होती है और उन्हें साधारणतः बैठक के अन्त में रखा जाता है जब कुछ लोग जाने के लिए उतावले होते हैं।

5.8. कुछ राज्य कमेटियों में पदाधिकारियों के बीच बिना किसी पूर्व चर्चा के महासचिव के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का रिवाज है। फलतः बैठकों मे पदाधिकारियों के द्वारा भी प्रतिवेदन की आलोचना होने लगती है जो संगठन मे साझे नेतृत्व की भावना को ही चोट पहुंचती है। पदाधिकारियो के बीच इस तरह की पूर्व-चर्चायें प्रतिवेदन में गुणगत सुधार लाने में सहायक सिद्ध होती हैं।

5.9. अब हम राज्य पदाधिकारियों या सचिवालय के कार्यकलापों पर नजर डालें। यह सीधे राज्य कमेटियों के प्रति जिम्मेदार है तथा इसे नाना प्रकार के कार्यकलापों को सम्पन्न करना पड़ता है जिनमें अखिल भारतीय संगठनों के फैसलो को लागू करने समेत संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसे राज्य कमेटियो

तथा जनरल कौंसिल की बैठकों के फैसलों को लागू कराने के लिए भी नजर देनी पड़ती है तथा राज्य कमेटियों की दो बैठकों के बीचं के काल में नीति निर्धारक निकाय के रूप में भी काम करना पड़ता है। इस पर राज्य केन्द्र के प्रतिवेदन के कार्यकलापों को दिशानिर्देश करने की भी जिम्मेदारी है। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि सीटू की नीतियों को राज्य के सभी फेडरेशनों एवं सम्बद्ध यूनियनों में लागू किया जाय। सचिवालय के सदस्यों का कारगर कार्यकलाप प्रमुखतः इस पर निर्भर करता है कि सचिवालय के सदस्यों के बीच कार्य का आवंटन कैसा हुआ है और इसकी भी समीक्षा करनी है कि आवंटित कार्य सही ढंग से लागू होता है या नहीं-महासचिव को इस प्रक्रिया में प्रमुख समन्वयकर्ता की भूमिका निभानी होगी।

5.10. यह आम तौर पर देखा जाता है कि कामरेडों का एक अच्छा-खासा हिस्सा अनेकों कार्यों के बोझ से दबा रहता है जबकि कुछ पदाधिकारी किसी निर्दिष्ट जिम्मेदारी के बिना ही बने रहते हैं और उनका काम केवल बैठक में उपस्थित होना तथा मुद्दों पर अपनी राय देना है। साझे नेतृत्व को तभी प्रारम्भ किया जा सकता है जबकि बैठकों में कार्य के आवंटन की व्यवस्था की जाय तथा किये गये कार्यों की समीक्षा हो। कुछ पदाधिकारियों का रवैया है कि अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को वे किसी दूसरे के ऊपर डाल देने की कोशिश करते हैं। उनको अपनी इस प्रवृति को छोड़ना होगा।

6. जिला कमेटियों की कार्य-पद्धति

6.1. जिला कमेटियां राज्य कमेटियों एवं राज्य कौंसिल तथा यूनियनों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो आंदोलनों को धरातल स्तर पर चलाती हैं तथा सीटू के अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर के सभी फैसलों को जिला में कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी का वहन करती हैं। जिला कमेटियों जिला में संगठित ट्रेड यूनियनों को शक्तिशाली बनाने तथा उनके मार्ग-दर्शन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही कैडर एवं नेतृत्व के निर्माण में भी वह प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। सी० आई० टी० यू० संविधान में यह प्रावधान है कि जिला कमेटियों का गठन राज्य कमेटी की अनुमति से किया जा सकता है, यदि उस जिला में काफी संख्या में यूनियनें हो और वहां ऐसी कमेटी बनाने की उचित वस्तुस्थिति हो।

6.2. अनेक राज्य कमेटियां अपने राज्यों में जिला कमेटियों को मजबूत करने के कार्य से विमुख हो गई हैं। वास्तविकता यह है कि यदि सम्पूर्ण देश का जायजा लिया जाय तो अभी काफी वृहद क्षेत्रों में जिला कमेटियों का गठन करना है। उन जिलों में भी जहां सीटू यूनियनों की अधिक संख्या है तथा जहां आंदोलन प्रगति पर है उन आंदोलनों में समन्वय कायम करने के लिए जिला कमेटियों का गठन नहीं किया जा सका है।

6.3. जिला कमेटियों को चाहिए कि वे सीटू से सम्बद्धता की स्थिति की नियत समय पर समीक्षा करें। उन्हें सीटू सम्मेलन के समय पर ही सम्बद्धता शुल्क देने की प्रवृति का परित्याग करना चाहिए। यह आम अनुभव की बात है कि इस प्रवृति से ही दो सम्मेलनों के बीच कुछ यूनियनों की सम्बद्धता खत्म हो जाती हैं। यह देखा गया है कि ऐसी अनेकों यूनियनें हैं जो सीटू समर्थकों के सम्पूर्ण सहयोग के ऊपर आधारित हैं तथा सीटू के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा बंटाती हैं लेकिन अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखती हैं। जिला कमेटियों को उनका सही जायजा लेना लेना चाहिये एवं उन यूनियनों को से सम्बद्ध कराने का प्रयास करना चाहिये बशर्ते कि वस्तुस्थिति ऐसा करने की अनुमति है।

6.4. बहुत से राज्यों में जिलों के कार्यकलाप आर्थिक तंगी से ठप पड़ जाते हैं। यूनियनों द्वारा संग्रहीत लेवी की इतनी कम मात्रा से यहां तक कि कार्यालय के अति आवश्यक खर्चों को सम्भालना भी मुश्किल हो जाता है। अनियमित रूप से भेजी गई लेवी से यह परेशानी और भी बढ़ जाती हैं। अतः जिला के खर्चों को सम्भालने के लिए धन की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

6.5. राज्य कमेटियों को, जिसकी देखरेख में जिला कमेटियां कार्य करती हैं। राज्य कमेटियों की सभाओं में निश्चित अवधि में जिला कमेटियों के कार्यकलाप को विषय-सूची में रखना होगा एवं नियमानुसार उनके कार्यों की समीक्षा करनी होगी जिससे वे प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकें। जहां पर जिला कमेटियां कार्यशील नहीं हैं वहां अधिक जोर देकर उनसे काम कराने का प्रयास करना होगा। उन क्षेत्रों में जहां हम अभी तक उचित सदस्य संख्या होते हुई भी कमेटी का गठन नहीं कर पाये हैं वहां उनके द्वारा ही कार्य को जारी रखने का प्रयत्न करना होगा। हमारे सांगठनिक ढांचे की नयी दिशा के तहत निश्चित रूप से जिला कमेटियां ही हमारे संगठन को पूरे भारत में संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा करेंगी।

जानी चाहिये और यदि सदस्यों के कामों में कोई त्रटि नजर आये तो उन्हें सधारा

7. उद्योगवार फेडरेशन्स

7.1. सीटू की स्थापना के बाद हमने निम्नलिखित उद्योगवार फेडरेशन्स बनाये हैं :-

1. स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
2. ऑल इंडिया प्लान्टेशन वर्कर्स फेटरेशन
3. वाटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
4. आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन
5. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
6. ऑल इंडिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन
7. इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया
8. सुगर वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
9. ऑल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन
10. ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन

7.2. इसके अलावा हमारे कामरेड ब्रुक बांड एम्पलाइज फेडरेशन, मेटल बाक्स वर्कर्स फेडरेशन, एवरी वर्कर्स फेडरेशन, आईटीसी एम्पलाइज फेडरेशन, फर्टिलाइजर वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, टाटा ऑयल मिल एंड एलाइड कम्पनी एम्पलाईज यूनियन आदि स्वतंत्र एकजुट फेडरेशनों में भी कार्यरत हैं। मगर इनके कामों की समीक्षा नहीं की गई है। इनके साथ ही हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए को-आर्डिनेशन कमेटियों का गठन किया है जैसे- भेल, एनटीपीसी, एचएससीएल, बीइएल असंगठित मजदूरों, सीमेंट, नानकोलमाइंस, वर्किंग वूमेन, ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, बीड़ी, फूड कॉरपोरेशन में भी को-आर्डिनेशन कमेटियों का गठन किया गया है। हालांकि इन कमेटियों की गतिविधियों से केन्द्र के कॉमरेड सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जब भी कोई मुद्दा सामने आता है तो सेक्रेटारयट में उनकी गतिविधियों के कुछ पक्षों पर समय-समय पर बातचीत कर ली जाती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्रेटारियट द्वारा उनके कामों का उचित लेखा-जोखा कभी किया हो। न ही इन फेडरेशनों ने अपने कामों की आत्मालोचनात्मक समीक्षा ही की है।

7.3. यह देखा गया है कि कमेटी की कुछ बैठकों में उपस्थिति बेहद शोचनीय है और कुछ राज्यों से नियमित उपस्थित नहीं होती। कितनों ने सुझाव

दिया है कि इन बैठकों के लिएं सूचना देने का वक्त पर्याप्त नहीं है तथा आगे से यह सावधानी बरती जाय की पर्याप्त समय दिया जाय ताकि सदस्यगण अपने अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल बैठा सकें। कितनी बार तो बैठकें अल्प अवधि तक चलती हैं तथा इन बैठकों के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की जाती। इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

7.4. कुछ राज्य कमेटियों ने शिकायत की है कि अखिल भारतीय फेडरेशनों या को-ऑर्डिनेशन कमेटियों की बैठकों के फैसलों को उन्हें नियमित रूप से सूचित नहीं किया जाता तथा ऐसे सुनिश्चित कदम उठाये जायं कि भविष्य में फैसलों की सूचना नियमित रूप से मिलती रहे। यह भी आवश्यक है कि अखिल भारतीय बैठकों के फैसलों की जानकारी मिलते ही राज्य कमेटियां अपने-अपने राज्यों में इन फैसलों पर अमल के लिए सकारात्मक कदम उठाये। राज्य कमेटियों को सुनिश्चित करना चाहिये कि अखिल भारतीय बैठकों में उनके राज्यों के सदस्यों की समुचित उपस्थिति रहे। हमें यह कार्य प्रणाली शुरू करनी चाहिये कि तमाम उद्योगवार फेडरेशन और को-ऑर्डिनेशन कमेटियां अपनी लिखित रिपोर्ट सीटू की जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी को प्रेषित करे ताकि अखिल भारतीय निकायों द्वारा नजरदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

7.5. विभिन्न दूसरे उद्योगों में फेडरेशन और को-ऑर्डिनेशन कमेटियों के गठन की मां उचित ही की जाती हैं। इस संबंध में बड़ी बाधा है ऐसे कामरेडों की कमी जो अखिल भारतीय स्तर पर उद्योगवार गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी ले सकें। यदि विभिन्न राज्यों के वरीय कॉमरेड यह जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आते हैं तो काफी कुछ किया जा सकता है। सीटू केंद्र को चाहिये कि वरीय कामरेडों को इस बारे में जिम्मेदारी दी जाय।

7.6. विभिन्न राज्य कमेटियों ने उद्योगवार गतिविधियों को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य स्तरीय फेडरेशन या को-ऑर्डिनेशन कमेटियां गठित करने का कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश में ए० पी० लारी एंड मोटर वर्कर्स फेडरेशन काम करता रहा है। आसाम में राज्य स्तर का कोई फेडरेशन नहीं है, लेकिन प्लान्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट और निर्माण उद्योग में को-ऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में कोयलाखानों में राज्य स्तरीय यूनियन का गठन किया गया है। तमिलनाडु में रेल और बिजली उद्योग में राज्य स्तर पर यूनियनें गठित हुई हैं जबकि सड़क परिवहन, कॉटन टेक्सटाइल, चीनी, निर्माण, हथकरघा, बीड़ी और जल निकासी बोर्ड में राज्य स्तर पर फेडरेशनों का गठन किया गया है। तमिलनाडु में खादी

ग्रामीण इकाइयों, ग्रेनाइट की खदानों, खनिज तथा बगीचों आदि में यूनियनों की गतिविधियों में समन्वय कायम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बीड़ी को छोड़कर अन्य फेडरेशनों की मीटिंगें नियमित हो रही हैं।

समय-समय पर इन संगठनों के राज्य सम्मेलन भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मजदूरों की को-आर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग, कॉटन टेक्सटाईल, निजी और मिनी बस ट्रांसपोर्ट, विद्युत, रसायन और दवा, बीड़ी तथा तम्बाकू, नगरपालिका तथा स्थानीय स्वायत निकायों, छापाखानों, कोल्ड स्टोरेज और सहकारिताओं में फेडरेशनों का गठन हो चुका है। इसके साथ ही, जूट, हथकरघा, दूकान और संस्थान, मोटिया-मजदूर (सर पर ढोने वालों), रिक्शा और वैन, ईंट भट्टा, बेकरी, रेलवे के फेरीवालों, रेलवे के ठीकेदार, जल पथ परिवहन, नियमित (रेगुलेटेड) बाजार, वन सुरक्षा ठीकेदार प्रहरी, चावल मिल, आईसीडीएस, आटो रिक्शा, निर्माण से जुड़े पालिश करने वाले, सीयूडीपी, होजरी और पोशाक में राज्य स्तरीय इकाइयां कार्यरत हैं। केरल राज्य कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि राज्य में नारियल जटा, हथकरघा, काजू, सड़क परिवहन, बिजली आदि समेत 15 उद्योगवार फेडरेशन हैं। इनमें कुछ फेडरेशनों की गतिविधियां नियमित नहीं हैं और अपने रोजमर्रा के कामों को करने की आर्थिक सामर्थ्य भी उनमें नहीं हैं। पंजाब में चार राज्य स्तरीय यूनियनें और पांच उद्योगवार को-ऑर्डिनेशन कमेटियां गठित हुई हैं। लेकिन ये तदर्थ आधार पर चलती हैं और जब भी आंदोलन के लिए फंड की जरूरत पड़ती है तो चंदे की उगाही कर ली जाती है। राजस्थान में बिजली उद्योग और वन मजदूर यूनियन के राज्य स्तर पर फेडरेशन हैं। जिन राज्य कमेटियों ने राज्य स्तर पर उद्योगवार फेडरेशन या यूनियन कायम करने के कदम नहीं उठाये हैं, उन्हें फौरन इस संबंध में कदम उठाना होगा।

7.7. इन फेडरेशनों की गतिविधियों की बेहतर जांच की जरूरत है। उद्योगवार गतिविधियों में समन्वय से राज्य स्तर पर गतिविधियां जोरदार होंगी। हमें अपने काम के इस पक्ष पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा और राज्य के विभिन्न नेताओं को उद्योगवार गतिविधियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। राज्य की उद्योगवार गतिविधियां ही आगे अखिल भारतीय फेडरेशन को शक्तिशाली बनायेंगी। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हमारे उद्योगवार संगठन में शामिल कुल मजदूरों की संख्या उस खास उद्योग के कुल मजदूरों की संख्या की तुलना में बेहद कम हैं।

8. ट्रेड यूनियनों की जनतांत्रिक कार्य प्रणाली

8.1. हमारी ट्रेड यूनियनों के जनतांत्रिक तरीके से कामकाज में गंभीर खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पिछले दो दशकों में ट्रेड यूनियनों में जनवाद की बहाली के बारे में हमने जितने भी कदम उठाये हैं, हम अधिकतम यह दावा कर सकते हैं कि हम सिर्फ औपचारिक जनवादी कार्य पद्धति ही लागू कर पाये हैं। मगर हम यूनियनों के संचालन के इस महत्वपूर्ण पहलू की मूल भावना को ही नहीं पकड़ पाये हैं।

8.2. जैसा कि जाना जाता है कि ट्रेड यूनियन जनतंत्र यूनियन के रोजमर्रा के काम और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम सदस्यों की सक्रिय हिस्सेदारी से गहरे रूप से जुड़ा होता है। आज हमारी यूनियनों में आम मजदूरों की भागीदारी मात्र निष्क्रिय ही है। ऊपर से जो निर्देश दिया जाता है उस पर ही वे अमल करते हैं लेकिन यूनियन की नीतियों को तय करने के मामले में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है।

8.3. यह उम्मीद की जाती है कि यूनियन का आम सदस्य मजदूरों से घनिष्ट रूप से जुड़ा रहेगा और उसके जरिये किसी भी क्षण यूनियन का नेतृत्व मजदूरों की नब्ज की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जहां कहीं भी हमारे मजदूर-कार्यकर्ताओं का गहरा संबंध आम मजदूरों से नहीं है, हमें ऐसे कदम उठा कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह संबंध और भी मजबूत हो।

8.4. सीआईटीयू के संविधान में जनवादी कार्य-पद्धति पर पर्याप्त जोर दिया गया है। यह इस प्रकार है:-

8.4.1. "4(बी) सी० आई० टी० यू० की समझ है कि संगठन के सभी स्तरों पर तथा उसके घटकों की जनवादी कार्य प्रणाली, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है''।

8.4.2. "4 (सी) निश्चित अवधि में सी० आई० टी० यू० निकायों की बैठकें आयेजित करना, अपने कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी का निर्वाह तथा संविधान के तहत संगठन के विभिन्न निकायों के सामूहिक कामकाज के बारे में संविधान के प्राविधानों का कड़ाई से पालन संगठन की जनवादी कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है।"

8.4.3. "4 (डी) सी० आई० टी० यू० निकायों में अल्पमत के विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार होगा और अपने तमाम निकायों में उन्हें

पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा। समुच्चय (क्यूमुलेटिव) मतदान पद्धति द्वारा इसे सुनिश्चित करना होगा।"

8.4.4. "4 (इ) केंद्र के सी० आई० टी० यू निकायों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि राज्य कमेटियां और अन्य निर्वाचित निकाय, संविधान के अनुसार संगठन में सभी तबकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए जनवादी तरीके से काम करे।

8.4.5. सी० आई० टी० यू० के संविधान के इन स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद हम कड़ाई से इन प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं जिसके फलस्वरूप जनवादी कार्य प्रणाली के वास्तविक तत्व को हम अपनी समझ और व्यवहार में नहीं उतार पाये।

8.5. हम कभी-कभी आम मजदूरों को अपनी नीतियों की व्याख्या करने के लिए यूनियन की आम बैठक आयोजित करते हैं। यद्यपि सभी यूनियनें ऐसा दावा नहीं कर सकती कि वे नियमित रूप से ऐसी बैठकें करती रही हैं। यही नहीं, इन बैठकों में यूनियन की सदस्यता का एक छोटा हिस्सा ही उपस्थित रहता है। अक्सर इन आम बैठकों में यूनियन के नेता सिर्फ यूनियन की नीतियों की ही व्याख्या करते हैं और व्यवहारिक रूप में आम मजदूर कार्यकर्ताओं को अपने अनुभव और विचार को रखने का समय ही नहीं मिलता है। यद्यपि सी० आई० टी० यू० ने किसी समझौते पर दस्तखत करने के पहले जनरल बाडी बैठक में समझौते के मसौदे को पेश करने का निर्देश दिया है तथापि अनेक यूनियनों ने इस पर कड़ाई से अमल नहीं किया। लेकिन कुछ भिन्न परिस्थितियों में जहां आम बैठक करना संभव नहीं , वहां समझौते के मसौदे को कम से कम यूनियन की कार्यकारिणी कमेटी या जनरल कौंसिल से अनुमोदित कराना ही होगा।

8.6. यद्यपि आमतौर पर सीटू की यूनियनें समझौते में मजदूर विरोधी प्रावधानों के प्रति चौकस रहती है लेकिन ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां यूनियनों ने बिना किसी जीबी मीटिंग में रखे या कार्यकारिणी कमेटी या यूनियनों की कौंसिल में पेश किये ही प्रबंधकों के साथ गलत समझौते कर लिये। ऐसी घटना भी हुई है कि स्थानीय यूनियनों ने राज्य कमेटी के नेतृत्व से परामर्श किये बिना ही समझौते पर दस्तखत कर दिया। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने वर्ग के प्रति वफादार रहने की हमारी नीति की रक्षा करते हुए सभी यूनियनों को ऐसे कामों को त्याग देना चाहिये।

8.7. संविधान की जरूरतों के अनुसार अनेक यूनियनें अपना नियमित सम्मेलन नहीं आयोजित कर रही हैं। ऐसे मामले देखे गये हैं कि 8 से 10 वर्षों बाद सम्मेलन हुए हैं। राज्य कमेटियों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नियमित रूप से सम्मेलन आयोजित किये जायं।

8.8. यूनियन के सम्मेलनों की पद्धति में सुधार की जरूरत है। कई बार देखा गया है कि आम सदस्यों के लिए निर्धारित समय बेहद कम होता है और अपनी बातों को ठीक से कहने के लिए उन्हें पूरा मौका नहीं दिया जाता। कभी-कभी तो नीचे से की गई आलोचनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है और नेतृत्व द्वारा घिसापिटा जवाब दे दिया जाता है। यूनियन के सम्मेलनों को मात्र एक रिवाज के रूप में नहीं लेना चाहिये और आम मजदूरों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यूनियन के नेतृत्व द्वारा उनकी बातों को उचित महत्व दिया जाता है।

8.9. आम तौर पर यूनियनों के हिसाब-किताब की हालत दयनीय है और हमारी अनेक यूनियनों द्वारा आन्तरिक हिसाब परीक्षा (आडिट) प्रणाली को उचित महत्व नहीं दिया गया है। यद्यपि अधिकांश मामलों में पैसे की हेरा-फेरी की घटना नहीं घटी है, पर हिसाब-किताब ठीक से नहीं रखने के चलते कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं जिनसे बचने की कोशिश करनी होगी। कुछ यूनियनों की आर्थिक हालत बेहत खराब है। कम सदस्यता के कारण यूनियन के पास उतना पैसा नहीं होता कि आवश्यक गतिविधियां चलाई जा सकें। सी० आई० टी० यू० की स्थापना के बाद से अनेक यूनियनों ने चंदे की दर नहीं बढ़ाई है जिसके फलस्वरूप यूनियनों को पैसे की किल्लत है। विशेष अवसरों पर चंदे के संग्रह से यूनियन के चंदे में गिरावट नहीं होनी चाहिए। खासकर छोटी यूनियनों की हालत बड़ी खस्ता है और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए रोज कुआं खोदो और रोज पानी पीओ जैसी स्थितियों में रहना पड़ रहा है। यूनियन की गतिविधियों को ठीक से चलाने के लिए जहां भी आवश्यक हो यूनियन के चंदे की दर बढ़ाई जानी चाहिये। जिस तरीके से यूनियन के सम्मेलन में यूनियन के हिसाब को पारित किया जाता है, उसी से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

8.10. ट्रेड यूनियन जनतंत्र का एक अन्य पक्ष है यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक। तमाम यूनियनें नियमित अन्तराल के बाद ये बैठकें नहीं करती हैं। जब कभी बैठक होती भी है तो उपस्थित बेहद कम रहती है। यहां तक कि बैठक की अवधि भी कई बार ताफी कम रहती है, क्योंकि विषय के महत्व के अनुसार ही सिर्फ एक या दो मुद्दों के लिये ही बैठक की जाती है। इन बैठकों में लिये

गये फैसलों की जांच के लिए न तो कोई उचित प्रणाली है और न ही निष्क्रिय सदस्यों की इन बैठकों में नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने और बहस में शिरकत करवाने का कोई व्यवस्थित प्रयास ही किया गया है। इन बैठकों में उपस्थित रहनेवाले उच्चतर कमेटियों के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि ऐसे पिछड़े सदस्यों को इन बैठकों में बोलने को उत्साहित करें जो बोलने से कतराते हैं।

8.11. यूनियन के पदाधिकारियों के कामकाज में भी ऐसी ही खामियां हैं तथा यूनियन के काम काज का समूचा बोझ 3-4 सीमित संख्यक पदाधिकारियों के कंधों पर ही आ पड़ता है। ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जहां पूरी यूनियन का संचालन एक ही व्यक्ति कर रहा है जो समूची कार्यकारिणी कमेटी को निष्क्रिय दर्शक बनाते हुए सभी कार्य स्वयं करता है।

8.12. यूनियनों का चुनाव कराना ट्रेड यूनियन जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आमतौर पर मीटिंग में पैनेल को पेश कर दिया जाता है और मजदूरों को नामों पर विचार करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। कुछ यूनियनें तो सम्मेलन से पूर्व ही अलग से चुनाव सम्पन्न करा लेती हैं। हमें पैनेल के बाहर के किसी नाम को प्रस्तावित करने के मजदूरों के अधिकार से वंचित या किसी नाम का सुझाव देने से उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिये। अनुचित उपायों से किया गया चुनाव यूनियन के आम सदस्यों के बीच मनमुटाव पैदा करता है जो यूनियन के भावी विकास को अवरूद्ध करता है। यद्यपि यूनियन का संविधान ही जनवादी कामकाज का आधार प्रदान करता है, पर व्यवहार में इस पर अमल में त्रुटियां हैं। यूनियन में पूर्ण जनतंत्र को सुनिश्चित करने और अबाध रूप से बिना किसी बाहरी प्रभाव से अपना मनपसंद नेतृत्व चुनने के मजदूरों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हमें गुप्त मतपत्र के आधार पर चुनाव कराने को प्रोत्साहित करना होगा।

8.13. विभागीय कमेटियों का कामकाज यूनियन की गतिविधियों के जनतंत्रीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन कमेटियों में आम मजदूरों को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा अपने विभाग की समस्याओं को सुलझाने का अधिक अवसर मिलता है। इन कमेटियों की कार्यशैली यूनियन के कामों में बड़ी संख्या में मजदूरों को शामिल करती हैं। हमारे सांगठनिक ढांचे में यूनियनें इन कमेटियों पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित नहीं करतीं। यहां तक कि हमारी कुछ बड़ी यूनियनों तक ने हमारे कामकाज के इस पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इससे हमारी यूनियनों के आगे और विकास तथा अपने जनाधार को बढ़ाने

में बाधा पड़ी है। यदि यूनियनों की कार्यकारिणी कमेटियां विभागीय कमेटियों से नजदीकी संबंध बनाये तथा यूनियन की सदस्यता में वृद्धि के लिए उन पर जिम्मेदारी सौंपे तो इसकी बड़ी भारी संभावना है कि ये कमेटियां तमाम क्षेत्रों में यूनियन की गतिविधियों को शक्तिशाली बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर सकती हैं। इसी प्रकार मजदूर बस्तियों और उपनगरों में मजदूरों से मिलने और उनसे बातचीत करने का प्रयास करना चाहिये जो ट्रेड यूनियन कामों में मजदूरों को सक्रिय बनाने में भी मददगार होगा।

8.14. जब तक यूनियन में मजदूरों को अपनी भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, तबतक यूनियन के रोजमर्रा के कामों में मजदूरों की भागीदारी प्रभावशाली नहीं होगी। हालांकि हम अपनी जुझांरू कार्रवाइयों को ठीक से चलाते रहे हैं, मगर इसके स्तर को और भी सुधारा जा सकता है। लेकिन आम मजदूरों के बीच प्रचार कार्य के मामले में अभी भी कमजोरियां हैं जिसके कारण, मजदूरों की चेतना को अभी भी आर्थिक संग्राम के दायरे के बाहर नहीं लाया जा सका है। यूनियन में जनतांत्रिक तौर तरीके कायम किये बिना इसे साकार नहीं बनाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य कमेटियां तथा जनरल कौंसिल और कार्यकारिणी कमेटी समय-समय पर ट्रेड यूनियनों के जनतांत्रिक काम-काज के स्तर की देख-रेख करें ताकि इस मामले में जारी खामियों को सुधारा जा सके।

9. बढ़ते नौकरशाही रुझान

9.1. हमारे संगठन में बढ़ते नौकरशाही रुझान हमारी यूनियनों में जनवादी कार्य प्रणाली को शक्तिशाली करने में गंभीर बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के व्यक्तिवादी तौर-तरीकों ने नौकरशाही प्रवृतियों को बढ़ावा दिया है। सामूहिक काम-काम और सूचनाओं के आदान-प्रदान के अभाव तथा व्यक्तिगत रूप से या एक छोटे से ग्रुप के लोगों द्वारा फैसलें किये जाने का परिणाम है कि निचली कमेटियों से परामर्श नहीं किया जाता।

9.2. नौकरशाही रुझान के कारण आगे चल कर नेतृत्व आम मजदूरों से अलग थलग पड़ जाता है। उनका काम करने का तौर-तरीका उन्हें नीचे से की जानेवाली आलोचनाओं के प्रति असहिष्णु बना देता है। ऐसे नेता अन्य कामरेडों से सीखने से इन्कार कर देते हैं और कभी-कभी तो मजदूरों के हितों के प्रति विश्वासघात भी करते हैं। वे घर-घर या विभागों में जाकर मजदूरों से सम्पर्क

बनाने को कम महत्व देते हैं और यांत्रिक रूप से सिर्फ फतवा जारी करने को ही अधिक महत्व देते हैं। अपनी स्थापना के बाद सी० आई- टी० यू० को विभिन्न राज्य कमेटियों के तीन महासचिवों और एक अध्यक्ष को सी० आई० टी० यू० की नीतियों पर चलने से इंकार करने, भयंकर व्यक्तिवादी तौर-तरीकों तथा कई गड़बड़ियों से जुड़े रहने के चलते बर्खास्त करना पड़ा। वे बुरी तरह से गैर जनवादी तरीके से काम कर रहे थे तथा संगठन पर अपना निजी वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी अनेक राज्य कमेटियों को कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ संगठन में गड़बड़ियों के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। उनके काम के तौर-तरीकों के खिलाफ यथासमय संग्राम करने में हमारी विफलता से कुछ कार्यकर्ता उनके साथ चले गये। कुछ स्थानीय यूनियनों में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। अतः नौकरशाही के खिलाफ संग्राम हमारी यूनियनों में जनवादी कार्य पद्धति को मजबूत करने के संग्राम का आधार है। यदि नौकरशाही प्रवृतियों को अधिक दिनों तक जारी रहने दिया गया तो यह ट्रेड यूनियनों में भ्रष्टाचार को बढ़ायेगा। हमें अपने आंदोलन को इस खतरे से बचाना होगा।

10. विधिवत कमेटियों में हमारे कार्य

10.1. विधिवत और द्विपक्षीय कमेटियों में हमारे कार्य में सुधार की काफी गुंजाइश है। इन कमेटियों से सम्बद्ध हमारे कामरेडों को समस्याओं की पूरी जानकारी होनी चाहिये तथा उन्हें सी० आई० टी० यू०के दृष्टिकोण को और भी प्रभावशाली तरीके से रखना जाहिये। हमारे सदस्यों की सतर्कता में कमी हमारे कामरेडों से गलतियां करा सकती हैं। इसलिए इन सदस्यों के कामों की सी० आई० टी० यू० केन्द्र और संबंधित कमेटियों द्वारा उचित जांच की जानी चाहिए। इन बैठकों की रिपोर्ट को राज्य कमेटियों को सूचित किया जाना चाहिये ताकि वे सम्बद्ध यूनियनों को उनके बारे में जानकारी दे सकें। दूसरी ओर, हमारी यूनियनों को इन सूचनाओं को अपनी बैठकों में पेश करना चाहिये ताकि आम मजदूर यह जान सके कि उन बैठकों में सी० आई० टी० यू० के प्रतिनिधि किस प्रकार संग्राम कर रहे हैं। स्थानीय परिस्थिति और जिन समस्याओं का सामना मजदूर कर रहे हैं, यूनियनों को भी इन बातों की पूरी सूचना भेजनी चाहिये ताकि कमेटी के समक्ष आने वाले विषयों के बारे में हमारे प्रतिनिधियों को पूर्ण जानकारी दी जा सके। इन सदस्यों के कामों की जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी द्वारा समीक्षा की

जानी चाहिये और यदि सदस्यों के कामों में कोई त्रुटि नजर आये तो उन्हें सुधारा जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो, उनकी जगह और भी योग्य कामरेड को लाया जा सकता ऐ। केन्द्र और राज्यों में एक जैसी कमेटियों में काम करनेवाले सदस्यों की बैठक सी० आई० टी० यू०केन्द्र को करनी चाहिये ताकि दृष्टिकोण में एकरूपता लाई जा सके।

11. कैडरों का विकास

11.1. हमारे सांगठनिक गतिरोध का एक बड़ा कारण है कार्यकर्ताओं के विकास के फौरी काम की उपेक्षा करना। संगठन की बहुमुखी जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए कार्यकर्ताओंके जत्थों की लगातार उपलब्धता अनिवार्य है। इसके बिना संगठन की आवश्यक चौतरफा प्रगति नहीं हो सकती। वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल की अनेक बैठकों में कामरेडों ने यह उल्लेख किया है कि वर्तमान केन्द्रों के विकास तथा उन्हें और भी नये क्षेत्रों में विस्तारित करने के काम में उन्हें किस प्रकार कैडरों के अभाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि तमाम क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के विकास के कार्य ने कभी भी हमारी सामूहिक चेतना में उचित स्थान ग्रहण नहीं किया।

11.2. हमारे द्वारा चलाये गये अनगिनत संग्रामों में हम ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में आये जिन्होंने हमारे संगठन के प्रति दिलचस्पी दिखाई। यह हमारी विफलता है कि हम उन्हें यूनियन की रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल नहीं करा पाये उनकी क्षमताओं के वस्तुगत मूल्यांकन के बाद उन्हें योग्य जिम्मेदारी नहीं दे पाये, और भी प्रभावशाली तरीके से उन्हें अपना काम अंजाम में मदद करने के उद्देश्य से उनका नियमित मार्गदर्शन नहीं कर पाये। जब उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें शाबाशी देने और उन्हें अपनी गलतियों से उबरने में मदद देने तथा उन्हें और अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोन्नति देने जब उन्होंने ऐसा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया - इन कामों को करने में हम नाकाम रहे हैं। हमारे बीच ऐसे भी कामरेड हैं जो ऑफिस के "बड़े बाबुओं" (हेड क्लर्क) जैसा व्यवहार करते हैं जो अपने कनिष्ठों के प्रति निन्दासूचक बर्ताव करते हैं। वे समझते हैं कि यदि अपने अधीनस्थ लोगों को अपना ज्ञान और अनुभव दे देंगे तो फिर उनकी क्या पूछ रहेगी।

11.3. ऐसा नहीं है कि इस मामले में हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कुछ मामलों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कामरेड कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन हमारी ओर से कोई योजनाबद्ध ओर सचेत प्रयास नहीं किया गया। कई बार हमारी विभिन्न बैठकों में चलताऊ ढंग से बातचीत भी हो जाया करती है मगर हमने कभी भी इस प्रश्न को अपनी अखिल भारतीय बैठक की विषय सूची में नहीं रखा और न ही इस क्षेत्र में अपने अनुभवों को समृद्ध करने तथा अपने संगठन के लिए उचित दिशानिर्देश तय करने की कोशिश की है।

11.4. हमने न तो इसका आकलन किया है कि हर राज्य और जिले में हमारे कितने कार्यकर्ता हैं और न ही उन्हें विकसित करने तथा और भी अधिक जिम्मेदारियां सौंपने की कोई योजना ही बनाई है, इस प्रक्रिया के चलते ऐसे कुछ कामरेडों को मुक्त करना सम्भव होगा जो और भी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी ले सकेंगे तथा प्रकारान्तर में हमें राज्य स्तर तथा अखिल भारतीय स्तर समेत उद्योगवार जिम्मेदारी लेने लायक कामरेड भी उपलब्ध होंगे। ऐसे कामरेडों से अभी इकाई स्तर का काम ही लिया जाता है। हमें यह तय करना होगा कि इस क्षेत्र में अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए अपनी गतिविधियों को और भी असरदार तथा फलदायक बनाने के लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण करे।

11.5. कामकाजी महिलाओं, असंगठित मजदूरों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों से आने वाले कार्यकर्ताओं के विकास के लिए विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि ये बहुत शोषित तबके हैं, हमारे आंदोलन में इनके बीच के कार्यकर्ता बेहद कम हैं।इनके पिछड़ेपन का फायदा उठाते हुए प्रतिक्रियावादी तथा पृथकतावादी ताकतों ने इन तबकों के अंदरअपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ये शक्तियां आम ट्रेड यूनियन आंदोलन से उनका ध्यान बंटा कर तुच्छ मुद्दों की ओर मोड़ने में या ट्रेड यूनियन आंदोलन में तोड़-फोड़ करने के लिए उनकी अलग यूनियन बनाने में सफल रही हैं।

11.6. यूनियन की कार्यकर्ता - नीति में पूरावक्ती कार्यकर्ताओं के विकास का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज के मेहनत मजदूरी करने वालों तथा मजदूर वर्ग के हितों के लिए कोई भी कुर्बानी करने के ट्रेड यूनियन के ये कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। यह दुःख की बात है कि उनके विकास की उपेक्षा की जाती है तथा कई बार तो उनके साथ एक कर्मचारी जैसा बर्ताव किया जाता है और उन्हें उचित मर्यादा नहीं दी जाती है। आवश्यक प्रशिक्षण के बाद उन्हें नेतृत्व में लाने

को भी हमेशा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यह आवश्यक है कि सभी राज्यों को पूरावक्ती कार्यकर्ताओं की समस्याओं की समीक्षा करनी चाहिये ताकि संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए उनकी ताकत के भरपूर इस्तेमाल के लिए कदम उठाये जा सकें।

11.7. पूरावक्ती कार्यकर्ताओं में बड़े हिस्से को आर्थिक सुरक्षा नहीं है तथा इनमें कुछ हो बेहद कम वेतन मिलता है। नियमित रूप से आवश्यक वेतन देने में यूनियनों की असमर्थता से उन्हें भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसका सीधा असर संगठन के अंदर उनके कामों पर पड़ता है। अनेक कामरेडों ने जब यह देखा कि दो जून की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं उन्होंने पूरावक्ती कार्यकर्ता का काम छोड़ दिया।

11.8. जबतक मजदूर वर्ग के बीच से कार्यकर्ताओं के विकास के प्रश्न की उचित समीक्षा नहीं की जायेगी,कार्यकर्ताओं के विकास पर बहस अधूरी ही रहेगी। हमें गर्व है कि हमारे पास मजदूर वर्ग के हजारों बेहतरीन कार्यकर्ता हैं, लेकिन नेतृत्व की नौकरशाही प्रवृति के चलते अक्सर वे नेतृत्व में नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी नहीं समझने और इस भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त न कर पाने में उनकी अक्षमता भी उनके विकास में बाधा है। ट्रेड यूनियन की हमारी चिट्ठी-पत्री खास तौर पर अंग्रेजी में होती है। अखिल भारतीय मीटिंग भी अंग्रेजी में ही होती है। मजदूर वर्ग के अनेक सक्षम कामरेड बैठक की बहसों को समझ नहीं पाते हैं और अन्ततः निराश हो जाते हैं और निष्क्रिय बैठे रहते हैं। इसका नतीजा हुआ है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में अच्छी अंग्रेजी जानने वाले जो नये लोग आते हैं उन्हें संगठन में जल्दी तरक्की मिल जाती है जब कि अंग्रेजी न जानने वाले कामरेड पूरी जिन्दगी एक आम कार्यकर्ता के रूप में बिता देते हैं।

11.9. हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिये कि पिछले सीआईटीयू सम्मेलन में लगभक एक तिहाई प्रतिनिधियों को व्यवहारिक रूप में फैक्टरी या संस्थान में काम करे का कोई अनुभव नहीं था। मजदूरों के बीच हमारे अनेक नेताओं को "बाबू" कहा जाता है। जबकि शिक्षित कामरेडों को ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल करने की जरूरत को कम करके नहीं देखना चाहिये, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी लेने में मजदूर वर्ग के कामरेडों की कठिनाइयों को समझने के काम को अधिक महत्व देना होगा। हमारे भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बड़ी संख्या में मजदूर कामरेडों को सामने की पंक्ति में हम कहां तक ला सके हैं।

12. ट्रेड यूनियन की शिक्षा और अनुसंधान

12. ट्रेड यूनियन शिक्षा कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। कार्यकर्ताओं की धारावाहिक शिक्षा के बिना ट्रेड यूनियनें प्रभावशाली तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पायेंगी।

12.2. यद्यिप विगत दिनों में कई राज्य स्तरीय कक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, सीटू केंद्र ने अपने अस्तित्व के पिछले 23 वर्षों में एक भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन स्कूल या आंचलिक स्कूल आयोजित नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से राज्यों तथा जिलों में कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों के एक दल के गठन का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। जनरल कौंसिल के सदस्यों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद सीआईटीयू केन्द्र ट्रेड यूनियन कक्षाओं के लिए विस्तृत नोट समेत एक् पाठ्यक्रम अब तक तैयार नहीं कर पाया है।

12.3. राज्य कमेटियों अथवा उद्योगवार फेडरेशनों द्वारा मांग करने पर सीआईटीयू केन्द्र से क्लास के मामले में हमने मदद की है। लेकिन अच्छी तरह से निर्मित एक पाठ्यक्रम के अभाव में इन क्लासों के नतीजे स्तर के नीचे रहे हैं। बहरहाल, यह नोट किया जाय कि सिर्फ एक पाठ्यक्रम से हमारे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होगी। हमें आम मजदूरों, सक्रिय मजदूरों, नेताओं तथा शिक्षकों को शिक्षित करने में फर्क करना होगा। यहां तक कि उद्योगवार शिक्षा के कार्यक्रम में भी एक भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था रखनी होगी। इसके अलावा देश में बढ़ती तकनीक को देखते हुए यह फौरी आवश्यक हे कि हमारे कुछ विशेष कामरेडों को विशषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाय। विशेष जिम्मेदारियों के साथ केन्द्र में एक दल के गठन के बिना इस को पूरा नहीं किया जा सकता है। परिस्थिति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमें इस कार्य को विशेष प्राथमिकता देनी होगी।

12.4. हमारे लिए यह खेद की बात है कि गवेषणा से संबंधित कामों तथा अपनी गतिविधियों की सूचना प्रणाली को विकसित कने के कामों पर हमने गौर नहीं किया। समय-समय पर ट्रेड यूनियन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर गवेषणापूर्ण दस्तावेजों तथा आवश्यक कार्रवाईयों और प्रचारात्मक सामग्रियों की आपूर्ति के बिना हम अपनी कार्रवाईयों में गुणात्मक सुधार नहीं कर पायेंगे। हालांकि इन कामों को हमें क्रमवार रूप से करना होगा लेकिन इसमें अत्यधिक विलम्ब से हमें काफी नुकसान पहुंचेगा। इस क्षेत्र में हमें ठोस कार्यक्रम लेने होंगे

ताकि हम अपने कार्यो को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए कदम उठा सकें। एक नयी परिस्थिति में, जब कि बुर्जुआ वर्ग मजदूरों में भ्रम पैदा करने के लिए नये-नये तरीके अपना रहा है, उनके वैचारिक हमलों का प्रतिरोध करने के लिए हमें एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता है। साधनों और कार्यकर्ताओं की समस्या इस मामले में बड़ी बाधा है, लेकिन यदि कामरेड सहयोग करें तो इस मामले में भी हम कदम उठा सकते हैं।

12.5. सीआईटीयू केंद्र ने 2000 किताबों के एक पुस्तकालय की स्थापना करके प्रारंभिक कदम उठाया है। इसमें और भी विकास की जरूरत है लेकिन खर्च काफी है। बहरहाल, कुछ धन की व्यवस्था करनी होगी ताकि एक बेहतर सूचना और तथ्य केन्द्र का निर्माण किया जा सके।

13. कामकाजी महिलाओं में काम

13.1. सीआईटीयू सम्मेलनों और अखिल भारतीय बैठकों में लगातार आलोचनाएं करने के बावजूद कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारे नेताओं, यूनियनों तथा विभिन्न कमेटियों का रुखापन ही सामने आया है। 1979 में कामकाजी महिलाओं के पहले अखिल भारतीय कंवेन्शन के समय से ही यह लगभग एक प्रथा बन गई है कि इस मामले में उपेक्षा की आलोचना की जाय। कामकाजी महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में गंभीर सुधार किये बिना ही कामरेड सिर्फ आलोचना ही करते हैं। कुछ राज्य कमेटियों ने कामकाजी महिलाओं की उप-कमेटियां या राज्य स्तर पर समन्वय कमेटियां बनी भी हैं तो या तो उनकी बैठकें नहीं होतीं या खराब उपस्थिति के साथ अनियमित बैठकें होती हैं। कुछ राज्य कमेटियों ने कामकाजी महिलाओं में काम के लिए अपनी बैठकों में प्रोग्राम नहीं लिया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कामकाजी महिलाओं में अपने काम को बढ़ाने के प्रति हमारी यूनियनें गंभीर नहीं हैं।

13.2. ज्यादातर राज्य कमेटियों में महिलाएं बमुश्किल नजर आती हैं। राज्य स्तर की तथा अखिल भारतीय बैठकों में महिलाओं की कम उपस्थिति के लिए यह उल्लेख किया गया था कि उनको यात्रा भत्ता देने को यूनियनें अनिच्छुक हैं। चूंकि हमने यह फैसला किया है कि कामकाजी महिलाओं का अलग से संगठन नहीं बनाया जायेगा, तो उनके पास धन कहां से आयेगा। यदि यूनियनें उन्हें यात्रा खर्च नहीं देंगी जाहिर है कि बैठकों में उपस्थिति नहीं हो पायेगी। जो स्वयं चंदा

इकट्ठा कर सकती हैं सिर्फ वे ही हिस्सा ले सकती हैं। राज्य कमेटियों को यूनियनों को राजी कराना होगा कि राज्य स्तरीय या अखिल भारतीय बैठकों में शामिल होने के लिए वे महिलाओं की आर्थिक मदद करें। राज्य समन्वय कमेटी के कामकाज के लिए भी आर्थिक सहायता देने की जरूरत हैं। महिला कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा जिससे वे संगठन में बड़ी जिम्मेदारियों को उठा सकें।

13.3. जहां कहीं महिलाएं उपयुक्त संख्या में कार्यरत हैं, वहां हम महिलाओं की यूनियन स्तर पर सब-कमेटियां नहीं बना पाये हैं। यूनियन स्तर पर सब कमेटियां बनाये बिना एकाएक राज्य स्तर पर या राज्य सम्मेलन के मौके पर कंवेंशन से भविष्य में लाभ नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि कामकाजी महिलाओं की समन्वय कमेटी को यूनियनों द्वारा गठित कामकाजी महिलाओं की सब-कमेटियों की गतिविधियों में समन्वय करना होगा।

13.4. कुछ राज्य स्तर की कमेटियों की पहलकदमी से राज्य सरकारी कर्मचारियों, बैंक और बीमा, में कामकाजी महिलाओं की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं लेकिन हमसे सम्बद्ध यूनियनें इस मामले में अब भी पीछे हैं। अपे वर्ग के अंदर काम की उन्नति के बिना कामकाजी महिलाओं के आंदोलन में प्रगति नहीं की जा सकता है। जहां तक असंगठित क्षेत्र का संबंध है, जिन जगहों पर बड़ी संख्या में महलिआएं कार्यरत हैं हगमने कारगर तरीके से काम नहीं किया है, जिसका नतीजा हुआ है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी काफी कम है।

13.5. एकमात्र उल्लेखनीय प्रगति आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मामले में हुई है जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को आंदोलन में उतारने में हम सफल हुए हैं। जबकि आंगनबाड़ी फेडरेशन के स्वतंत्र कार्य को और भी तीव्र करने की आवश्यकता है, हमने इन कर्मचारियों के एकजुट आंदोलन के लिए पहल की है। अन्य क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के बारे में भी सीआईटीयू को विशेष पहलकदमी करनी होगी। सिर्फ इसी से ही हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा।

13.6. कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं को शिक्षित किये बिना यह संभव नहीं होगा कि वे ट्रेड यूनियनों में प्रभावशाली तरीके से काम कर सकें। इन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाना होगा।

13.7. यह स्वीकार करना ही होगा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन ने महिलाओं पर होनेवाले सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ संग्राम के अपने कार्य की उपेक्षा की है। कुछ मामलों में तो देखा गया है कि मांग-पत्रों में कामकाजी महिलाओं

की विशेष समस्याओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। महिला मजदूरों को दी जाने वाली यौन यांतनाओं को भी हमने अपने आंदोलनों में गंभीरता से नहीं उठाया। कभी-कभी तो हमारे नेता और कार्यकर्ता उग्र पुरुषवादी रुझान के शिकार हो जाते हैं तथा महिलाओं की समस्याओं के प्रति एक तिरस्कारपूर्ण प्रवृति भी पनप रही है। मजदूर आंदोलन को स्वयं को यदि हम मजदूर आंदोलन में महिलाओं की व्यापक हिस्सेदारी चाहते हैं, तो महिला मुक्ति आंदोलन के साथ घनिष्ट रूप से जोड़ना होगा, हमें अपने मजदूर भाइयों को भी शिक्षित करना होगा कि वे अपने घरों की महिलाओं को जनवादी महिलाओं के आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित करें।

13.8. बम्बई में सीआईटीयू के छठे सम्मेलन में महिलाओं की उपेक्षा के संबंध में कामरेड बी० टी० रणदिवे ने जो आलोचना की थी, उसे हमें ध्यान में रखना होगा ...."सीआईटीयू की अधिकांश कमेटियों ने या तो समस्या की उपेक्षा की है या दिखावे के लिए अपने व्यवहारों में कुछ परिवर्तन किया है। कामकाजी महिलाओं की समस्या पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मजदूर वर्ग के संग्राग का ही हिस्सा है, न कि सिर्फ एक ऐसा प्रश्न जिस का संबंध अकेले महिलाओं से है। उन्होंने आगे कहा कि "इस गलत रूख की धारा क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि महिलाओं और उनके कामों को कम करके आंकना है। कामरेड बी० टी० रणदिवे की आलोचना आज भी न्यायसंगत है। जब तक हम अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करते हैं, हमारे आंदोलन में कामकाजी महिलाओं की व्यापक भागीदार मात्र प्रतीकात्मक बने रहने को बाध्य है ताथ हमारे आंदोलन के विकास के लिए भी यह एक गंभीर बाधा है।

14. सीआईटीयू की पत्रिकाएं

14.1. हमने पहले ही नोट किया है कि विभिन्न राज्य कमेटियों द्वारा प्रकाशित की जा रही 8 पत्रिकाओं के अलावा सीआईटीयू केन्द्र द्वारा 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। ये हैं श्रमिक आंदोलन (बंगला), कार्मिक लोकम (आंध्र), सीटू सीयेथी (तमिलनाडु), सीटू संदेशम् (मलायालम), सीटू संदेशा (कन्नड़), श्रमिक एकता (उड़िया), सीटू मुलाजिम (पंजाबी), सीटू बिहार (हिंदी), सीटू समाचार (गुजराती)। इनमें कुछ तो घाटे में चल रहीं हैं और कुछ बंदा होने के कगार पर पहुंच गयी है।

14.2. राज्यों की पत्रिकाओं के साथ ही कई उद्योगवार फेडरेशन भी अपनी बुलेटिन निकाल रहा है। एसडब्लूएफआई "न्यूज क्लीप" निकाल रहा है। सीडब्लूएफआई "कंस्ट्रक्शन वर्कर" निकाल रहा है। ईईएफआई त्रैमासिक "वॉयस ऑफ इलेक्ट्रीसिटी वर्कर" निकाल रहा है तथा एआईपीडब्लूएफ एक साइक्लोस्टाइल बुलेटिन निकाल रहा है। फारवर्ड सीमेनूस यूनियन ऑफ इंडिया "नाविक वीक्षण" के नाम से दो भाषाओं में मासिक पत्रिका निकल रहा है।

14.3. केरल में सीआईटीयू० से संबंध तीन यूनियनें तीन पत्रिकाएं निकाल रही हैं। केरल राज्य इलेक्टईसिटी बोर्ड वर्कर्स एसोसियेशन "इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स एसोसियशन "इलेक्ट्रीसिटी वर्कर" के नाम से मासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। इसकी 6000 कापियां छपती हैं। केरलरोड ट्रांसपोर्ट एम्पलाइज एसोसियेशन मासिक "ट्रांसपोर्ट एम्प्लाइज" (8000 कापियां) निकाल रहा है। केरल कोआपरेटिव एम्पलाइज यूनियन "कोआपरेटिव वर्कर" (6500 कापियां) प्रकाशित कर रही हैं। आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट स्टॉफ एंड वर्कर्स फेडरेशन एक मासिक पत्रिका आरटीसी वर्कर्स" (5000 कापियां) निकाल रहा है। इलेक्ट्रीसिटी एम्पलूइज यूनियन नियत समय पर बुलेटिन प्रकाशित कर रही है। खेड़ा जिला गुजराती मासिक बुलेटिन "जनता युग" (1500 कापियां) प्रकाशित हो रही हैं। फैक्टरी कामगार यूनियन मजदूर संग्राम समिति (हरियाणा) हिंदी में "मशाल" निकालती है। बंगलोर आटोरिक्शा ड्राइवर्स यूनियन "आटो चालका" मासिक बुलेटिन प्रकाशित कर रही हैं। तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन तमिल में "पोक्कुभारथ थोझीलाली" (30,000 कापियां) प्रकाशित कर रहा है। यह पत्रिका फेडरेशन की सदस्य संख्या से अधिक छपती हैं। इलेक्ट्रीसिटी यूनियन की पत्रिका "मिनकाठीर". की 5000 कापियां निकालती हैं। दक्षिण रेलवे एम्पलाइज यूनियन की मासिक पत्रिका "थोझीलालससू" (2000 कापियां) प्रकाशित होती हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यूनियन, प० बंगाल इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड यूनियन तथा एचएफसी यूनियन की बुलेटिनें भी कभी-कभी निकलती रहती हैं। असंगठित मजदूरों के सवालों से संबंधित बुलेटिन हिंदी और बंगला में निकलती हैं। यहां जो सूची दी गई है वह पूरी नहीं है।

14.4. यद्यपि हमारी कई पत्रिकाएं छप रही हैं लेकिन इसके स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाय, इसके बारे में केंद्रीय तौर पर हमने कभी भी बात-चीत नहीं की है। इनकी प्रचार संख्या को बढ़ाने की कोशिशें भी करनी होगी। तमाम सीटू

पत्रिकाओं के सम्पादकों की एक बैठक बुलाने की योजना बनानी होगी ताकि पत्रिकाओं की सामग्री की समीक्षा की जा सके और उनकी अंतर्वस्तु में सुधार लाया जा सके।

14.5. हमारी तमाम केंद्रीय और राज्य पत्रिकाओं की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उनका वितरण मुख्यतः सीटू अनुगामियों में ही सीमित है। सीआईटीयू के प्रभाव के बाहर के मजदूरों में काफी कम कापियां ही जाती हैं। गैर सीटू पाठकों तक अपनी पत्रिकाओं को ले जाने के उपायों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा ताकि गैर सीटू मजदूरों को आकर्षित करने में सीटू पत्रिकाएं प्रमुख औजार बन जाएं।

15. ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुटता

15.1. अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने की कोशिशों के साथ ही हमें आम मजदूरों के अंदर एकता की जबर्दस्त भावनाओं पर भी विचार करना होगा। अपने अनुभवों से उन्होंने सीखा है कि यूनियनों की बहुलता सौदेबाजी की उनकी शक्ति को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें मजदूरों के अंदर एक उद्योग में एक यूनियन का नारा लोकप्रिय होता जा रहा है। नीति गत रूप से सीआईटीयू भी उद्योग में एक यूनियन की धारणा को बुलंद करती है। लेकिन इस पर जोर देना आवश्यक है कि ऐसी यूनियन जनवादी तरीके से काम करे, गोपनीय मतदान के आधार पर यूनियन का चुनाव हो तथा मजदूरवर्ग के हितों की वह दृढ़ रक्षक हो। जो यूनियनें जनतांत्रिक तरीके से काम नहीं करती हैं वे न तो सभी मजदूरों की एकता कायम कर सकती हैं न ही उसे न्यायसंगत हितों की रक्षा ही कर सकती हैं। एक उद्योग में एक यूनियन कायम करते समय इन पहलुओं पर उचित जोर देते हुए मजदूरों को शिक्षित करना होगा। आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में उद्योग शब्द का वास्तविक अर्थ है एक इकाई या संस्थान।

15.2. कई औद्योगिक केन्द्रों में ऐसी एक ही यूनियन है जो किसी भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संग्ठन से समऋबद्ध नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जहां इस प्रकार की यूनियन गैर सीटू संगठन से सम्बद्ध है। इन यूनियनों में हमारे कामरेड कैसे काम करेंगे, यह कभी-कभी संबंधित कामरेडों पर ही छोड़ दिया जाता है। इन कामरेडों को किसी निर्दिष्ट कमेटी द्वारा मार्गदर्शन किया जाना चाहिये ताकि यूनियन की एकता को क्षति पहुंचाये बिना हमारी नीति के अनुसार ते काम कर सकें। दूसरों के नेतृत्व की यूनियन में काम न करने की एक प्रवृति हमारे कामरेडों के एक हिस्से के अंदर है। ऐसे कामरेडों को शिक्षित करके इस प्रवृति से उबारना होगा। इन यूनियनों से निकल कर मजदूरों में बिना किसी उचित आधार के अलग यूनियन कायम करने की कोशिशों को भी उत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

15.3. जैसा कि पहले ही बाताया जा चुका है, उद्योगवार को-आर्डिनेशन कमेटी या सीआईटीयू यूनियनों के फेडरेशन अनेक उद्योगों में काम करती रही हैं। अन्य सम्बद्धताओं वाली यूनियन के फेडरेशन भी इन उद्योगों में कार्यरत हैं। ऐसे ही कुछ मामलों में विभिन्न सम्बद्धताओं वाली यूनयनों के एक स्वतंत्र उद्योग स्तर के फेडरेशन कायम करने की भावना आम मजदूरों में देखी जा रही है। एकता की ऐसी भावना का सीआईटीयू की यूनियनों के लिए यह देखना जरूरी है कि ऐसे एकजुट स्वतंत्र फेडरेशन मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक ऐस संघर्ष का मंच बने जो वास्तव में जनतांत्रिक रूप से काम करते हों।

15.4. लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर मजदूर वर्ग की सांगठनिक एकता को शक्तिशाली करने के औजार के रूप में कनफेडरेशन की धारणा को हमें अपने स्वतंत्र मंच से लोकप्रिय करते रहना होगा। एकमात्र ट्रेड यूनियन केंद्र के गठन की वास्तविक परिस्थिति अभी तक परिपक्व नहीं हुई है। लेकिन अनेक स्थानों पर कारखाना या उद्योग स्तर पर यूनियनों और फैडरेशनों के एकीकरण की मजदूरों की भावना उस प्रक्रिया को लगातार तेज होने को दिखाती है जो अन्ततः राष्ट्रीय स्तर प कनफेडरेशन के गठन के लिए जमीन तैयार करेगी। इसके अलावा ट्रेड यूनयनों का राष्ट्रीय कनफेडरेशन आनेवाले समय में व्यापक रूप से एक उद्योग में एक यूनियन के लिए रास्ते को सुगम बनायेगा। अतः इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होगा कि यूनियनों के कनफेडरेशन की धारणा को लोकप्रिय बनाना हमारी प्राथमिकता है।

16. हमारे फौरी कार्य

16.1.वर्तममाल राष्ट्रीय परिस्थिति में, आर्थिक संकट के साथ ही आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा एक के बाद एक शर्त थोपे जाने के चलते देश कर्ज के फंदे में फंसता जा रहा है। नरसिम्हाराव सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने देश को बहुराष्ट्रीय निगमों और इजारेदार पूंजीपतियों के लिए खुला चरागाह बना दिया है। इन नीतियों के खिलाफ हमारे बढ़ते संग्राम, जिनमें हम तमाम जनसंगठनों की भागीदारी करा रहे हैं, मौजूदा समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। 15 अप्रेल 1993 को नई दिल्ली में आयोजित जनसंगठनों के ऐतिहासिक कंवेन्शन ने दश की जनतांत्रिक अग्रगति के लिए एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य रखा है। बहरहाल, साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियां समाज के धर्मनिरपेक्ष तानेवाने को ध्वंस करने पर तुली हुई हैं तथा देश में भाई-भाई के बीच युद्ध कराने पर आमादा हैं। यदि इन षड़यंत्रों को शुरू में ही समाप्त नहीं किया जाता है तो देश में बड़ी गंभीर स्थित पैदी हो जायेगी। इन परिस्थितियों में देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा समाजवाद के अपने आकांक्षित लक्ष्य के लिए हमें एक अहम भूमिका अदा करनी है। बिना शक्तिशाली संगठन तथा सही नीतियों के प्रभावशाली तरीके से लागू

विना हम अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पायेंगे। इसीलिए आज यह हमारा फौरी काम है कि हम अपनी कमजोरियों को झाड़ फेंकें।

16.2. पूर्व के सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवाद को लगे धक्कों के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी जटिल हो गई है। अमरीकी साम्राज्यवादी पहले से और ज्यादा खूंखार और हमलावर हो गया है तथा तीसरी दुनिया के देशों में उसकी दखलंदाजी और भी दानवी हो गई है। अपनी लूट को जारी रखने के लिए राष्ट्र संघ के साइनबोर्ड के उसके इस्तेमाल ने परिस्थिति को और भी पेचिदा बना दिया है। भारतीय और विदेशी बुर्ज़ुआ धुंआधार समाजवाद विरोधी प्रचार चला रहे हैं तथा मजदूरवर्ग को गुमराह करने के सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। "दुनिया के समक्ष खड़ी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ पूंजीवाद में है", बुर्जुआ ढिंढोरची यह दलील देते हुए मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहें हैं। लेकिन वे इसकी व्याख्या करने में नाकाम हैं कि विज्ञान और तकनीक में विकास के बावजूद पूंजीवाद क्यों नहीं गरीबी और फटेहाली को मिटा सका है। विकसित पूंजीवादी देशों में आर्थिक विकास की नीची दर के साथ ही बेरोजगारी की ऊँची दर नई आर्थिक व्यवस्था और अर्थनीति के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की कलई खोल कर रख देती है। यह पूंजीवाद के खात्मे और समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना के हमारे लक्ष्य के बारे में मजदूर वर्ग को शिक्षित करने के काम पर और भी बल देने की जरूरत को रेखांकित करता है।

16.3. गहराते संकट के इस दौर में हमें उद्योगवार और इकाईवार मुद्दों को अलग-अलग रूप से देखना होगा जिसके बिना इस संकट से उबरने के असरदार विकल्प का निर्माण हम नहीं कर सकते। बुर्जुआ वर्ग संकट के इस बोझ को मजदूरों और आम जनता के कंधों पर थोपने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस घातक उद्देश्य का प्रतिरोध करने के लिए हमें मजदूरों में विकल्प दृष्टिकोण का प्रचार करना होगा ताकि करोड़ों मेहनतकशों के हितों की रक्षा की जा सके। हमें गंभीरतापूर्वक अपने काम के तरीकों में सुधार लाना होगा। हमें पूंजीवादी आक्रमणों के नतीजों के बारे में विनम्रतापूर्वक लोगों को समाझाना होगा। सिर्फ ऐसा करके ही मजदूरों के अप्रतिबद्ध हिस्सों को हम अपनी ओर खींच सकते हैं। इस गंभीर परिस्थिति में सिर्फ आम सिद्धांतों को दोहराते रहने से कुछ बी लाभ नहीं होगा।

16.4.1. सीआईटीयू सचिवमंडल के काम-काज में सुधार करना होगा। केन्द्र के सामूहिक कामकाज को मजबूत किया जाय ताकि टीक वर्क को सुधारा जा सके। केंद्र के कामकाज के बारे में सीआईटीयू सचिवममंडल द्वारा किये गये फैसले का कड़ाई से पालन करना होगा और सचिवमंडल के प्रत्येक सदस्य के काम पर उचित नजर रखनी होगी। फैसलों पर अमल हुआ है या नहीं, इसकी जांच के तरीकों में व्यापक सुधार करना होगा। सीआईटीयू केंद्र की गतिविधियों में समन्वय के लिए जनरल सेक्रेटरी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सीआईटीयू

को नियत समयों पर इस बात की समीक्षा करनी होगी कि इस दस्तावेज में दिये गये सांगठनिक कार्यों पर अमल हो रहा है या नहीं।

16.4.2. सीआईटीयू० केंद्र में कुछ ऐसे वरिष्ठ कामरेडों को लाया जाना बेहद जरूरी है जिन्हें जनता के बीच काम करने का अच्छा अनुभव हो और जिनमें अखिल भारतीय आंदोलन का मार्गदर्शन करने की योग्यता हो। राज्य कमेटियों को ऐसे कामरेडों के नाम प्रस्तावित करने चाहिये जो यह जिम्मेदारी उठा सकते हैं।

16.4.3. पूरे सचिवमंडल की तिमाही बैठकें दो दिनों की होनी चाहिए तथा संगठन और इसकी गतिविधियों की पूरी समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिये ताकि त्रुटियों से उबरने के लिए कदम उठाये जा सकें। जनरल कौंसिल, कार्यकारिणी कमेटी की बैठकों में सचिवमंडल के कार्यों की नियमित रिपोर्टिंग करनी होगी।

16.4.4. जहां तक प्राथमिकता वाले अंचलों का संबंध है, सीआईटीयू० केंद्र को अपनी गतिविधियों को विस्तारित करने के प्रश्न पर संबंधित राज्य कमेटियों से बातचीत करनी होगी और इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीआईटीयू के आगे और विस्तार के लिए एक ठोस योजना तैयार करनी होगी, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है केन्द्र को राज्य कमेटियों से रायमशविरा करके प्राथमिक क्षेत्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों और इजारेदार घरानों के उद्योगों में संगठन को शक्तिशाली बनाने की योजना बनानी होगी। इस प्राथमिकता के अनुसार कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी होगी। सीआईटीयू केंद्र को इस कार्य के अमल की देखरेख करनी होगी तथा आगे और विचार के लिए वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल को नियमित रूप से रिपोर्ट करनी होगी।

16.4.5. मजदूरवर्ग की विचारधारात्मक दीक्षा पर केन्द्र को और अधिक ध्यान देना होगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के अंतिम लक्ष्यों को बुलंद करते हुए नियमित रूप से आवश्यक सामग्रियां तैयार करनी होंगी। समाजवाद के खिलाफ बुर्जुआ वर्ग के तमाम प्रचारकों को बेनकाब करते हुए मजदूरवर्ग में समाजवादी चेतना को विकसित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने होंगे। सीआईटीयू केन्द्र को सावधानीपूर्वक यह अध्ययन करा होगा कि मजदूरवर्ग के अंदर गैरवर्गीय धारणाओं का प्रभाव कितना है तथा इन धारणाओं के ख़तरनाक परिणामों के बारे में हर स्तर पर मजदूर वर्ग को आगाह करने पर खास बल देना होगा।

16.5. राज्य कमेटियों को निम्नलिखित कामों पर अमल करना होगा।

16.5.1. इस रिपोर्ट की रोशनी में रज्य सीआईटीयू के विभिन्न अंगों के कामकाज के बारे में आत्मलोचनात्मक समीक्षा की जाय तथा राज्य कमेटी में राज्य स्तर पर और जिला कमेटी स्तर पर बहस का आयोजन किया जाय और सुधार के उपाय किये जायें।

16.5.2. यूनियनों द्वारा चलाये गये संग्रामों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करनी होगी तथा रोजमर्रे की गतिविधियों के दौरान प्राप्त किये गये अनुभवों को पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर सीआईटीयू के कार्यकर्ताओं के बीच प्रचारित करना होगा।

16.5.3. प्रति वर्ष कोटा निर्दरित करके सीआईटीयू की सदस्यता वृद्धि के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाय ताकि योजनाबद्ध तरीके से संगठित शक्ति को बढ़ाया जा सके।

16.5.4. उद्योगवार सहयोग को और मजबूत किया जाय तथा राज्य में सभी स्तरों पर ट्रेड यनियन में जनतंत्र को लागू करने के प्रभावशाली कदम उठाये जायें।

16.5.5. तमाम जिला कमेटियों के कामकाज की समीक्षा की जाय तथा उन्हें ठोस हिदायत दी जायं ताकि किये गये कामों की नियमित जांच पद्धति के जरिये आम कामकाजों को वे असरदार तरीके से पूरा कर सकें।

15.6. जहां तक कार्यकर्ताओं के विकास का प्रश्न है, सभी स्तरों पर कामरेडों को उचित स्थान पर नियुक्त करना होगा तथा योग्य कामरेडों की बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी। जहां तक शिक्षा का संबंध है, इस मामले के लिए जो सब-कमेटी बनाई गई है उसे तीन महीने के अंदर पाठ्यक्रम के साथ ही व्याख्यान के नोट्स तैयार करने का काम सौंपना होगा ताकि अक्टूबर 1993 के अंत तक इस पाठ्यक्रम के आधार पर पूरे देश में शिक्षाकार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा सके। विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए उच्चतर पाठ्यक्रम की रचना उपयुक्त समय पर बाद में की जायेगी। हमारे वरीय नेता भी यह नोट कर लें कि उन्हें भी अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और स्वयं को तमाम जानकारियों से लैस करना होगा ताकि संगठन के लिए उपयुक्त नीतियां तय करने में वे प्रभावशाली तरीके से योगदान कर सकें। वर्तमान डटिल परिस्थित में नेतृत्व करने की उनकी क्षमता बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है कि हमारे आंदोलन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हे सुलझाने में वे किस हद तक सक्षम हैं। ज्जब हमारा प्रत्येक नेता एक ऐसा शिक्षक न बन जाय जो ट्रेड यूनियनों को समाजवाद के विद्यालय की तरह चला सके तबतक हम अपनी जनता का ही प्रभावशाली रूप से नेतृत्व नही कर सकते, विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित आम जनता का नेतृत्व करने की बात तो छोड़ ही दीजिये।

16.7. एक वरिष्ठ नेता के कई यूनियनों से जुड़े रहने की घटना आज भी हमारे संगठन का पीछा नहीं छोड़ रही है। संगठन में यह प्रवृति नये नेतृत्व के विकास में बाधा पहुंचती है तथा एक अकेले नेता के लिए चाहे वह कितना भी क्षमतावान क्यों न हो, एक साथ कई यूनियनों को चलाना लगभग असंभव है। लेकिन नेतृत्व में क्रमशः परिवर्तन करना होगा और इसे संबंधित इकाइयों पर ही

छोड़ देना होगा। नीतिगत रूप से सीआईटीयू को इस व्यवहार का परित्याग करना होगा और यूनियनों के नये नेतृत्व के विकास के लिए सचेत प्रयास करने होंगे।

16.8. जहां तक हिन्दी भाषी क्षेत्रों का संबंध है, इन राज्यों की राज्य कमेटियों को सीआईटीयू केंद्र से राय-मशविरा करके अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में विस्तार के लिए योजना तैयार करनी होगी। इस अंचल में कामकाज को शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र अगुआ राज्यों की सहायता ले सकता है। हिंदी भाषी इलाकों में गतिविधियों की समीक्षा तथा कार्यक्रम बनाने के लिए सीआईटीयू केन्द्र को इन इलाकों की राज्य कमेटियों के नेताओं की नियत अवधियों में बैठकें करनी होंगी ताकि इस अंचल में सीआईटीयू के कामों को शक्तिशाली किया जा सके। बी० टी० रणदिवे मेमोरियल ट्रस्ट को जल्द से जल्द जमीन का कब्जा लेने की गंभीरता से कोशिश करनी होगी। इसी बीच बिना देर किये कोष संग्रह अभियान शुरू करना होगा तथा राज्य कमेटियों को कोष संग्रह के लिए तेजी से अभियान चलाना होगा। सातवें सम्मेलन ने सीआईटीयू के प्रत्येक सदस्य और समर्थम से एक दिन का वेतन इकट्ठा करने का जो आह्वान किया था, उसे का० बी० टी० रणदिवे के अगले जन्म दिन 19 दिसम्बर 1993 तक सफलतापूर्वक अमल में लाना होगा।

16.9. कामकाजी महिलाओं के संवंध में राज्य कमेटियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक यूनियन को, जिसमें खासी संख्या में महिलायें कार्यरत हैं, सब-कमेटियों का गठन करना होगा ताकि महिलाओं की समस्याओं को यूनियनें उठा सकें। कामकाजी महिलाओं की कतारों से कार्यकर्ताओं के विकास और कामकाजी महिलाओं की कतारों से कार्यकर्ताओं के विकास और कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन क्लास आयोजित करने के कार्यक्रमों पर अमल करना होगा ताकि वे नेतृत्व की जिम्मेदारियों तक उठ सकें। सभी राज्यों में कामकाजी महिलाओं की राज्य ट्रेड यूनियन सब-कमेटियां या समन्वय कमेटियो के गठन के काम को प्राथमिकता देना होगी तथा इन संगठनों को सक्रिय बनाये रखना होगा। जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी की बैठकों में गतिविधियों की नियतकालीन समीक्षा करनी होगी।

16.10. यूवा मजदूरों के बीच काम करने की उपेक्षा हमारे लिए काफी महंगी पड़ रही है। जहां भी हमने इल काम को अनदेखा किया है, नये मजदूर यूनियनों से अलग ही रहे हैं। ट्रेड यूनियनों को यूवा मजदूरों की समस्याओं को उठाना होगा ताकि यूनियन की गतिविधियों में उनकी शिरक्त और भी बढ़चढ़ कर कराई जा सके। हम बेरोजगार युवा मजदूरों को संगठित करने की सिर्फ बात ही करते रहे हैं, मगर इस दिशा में हमने अब तक काम शुरू नहीं किया है। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार मज्दूर हमारे आंदोलन की परिधि के बाहर हैं। छात्र

और युवा संगठनवों से एकजुट होकर काम के अधिकार के लिए अभियान को हमें और भी मजबूत करना होगा।

16.11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के अंदर कार्यकर्ताओं के विकास के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा और यूनियन के कामों में इनकी बड़ी संख्या में भागीदारी करानी होगी। इन तबकों के होनहार कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के स्थान पर ले आने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।

16.12. यूनियनों को अपने रोजमर्रा के कामों के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी उचित जोर देना होगा जिससे मजदूरों की वास्तविक सांस्कृतिक आकांक्षाओं को उचित आकार प्रदान किया जा सके। इस क्षेत्र में गतिविधियों में समन्वय के लि राज्य स्तर पर कार्यक्रमों पर बातचीत की जानी चाहिए। यदि संभव हो तो इस क्षेत्र में गतिविधियों को चलाने में सहायता करने के लिए अखिल भारतीय टीम का गठन किया जाना चाहिए। तमाम भाषाओं की सीआईटीयू की पत्रिकाओं की बिक्री के लिए संजीदगी से अभियान चलाना होगा ताकि अधिकांश पाठकों तक इन्हें पहुंचाया जा सके। नियतकालीन रिपोर्ट जनरल कौंसिल/वर्किंग कमेटी को भेजनी होगी। इन पत्रिकाओं के गुणगत मान को भी उन्नत करना होगा जिससे ये मजदूरों में लोकप्रिय हो जायें।

16.13. साझा जनतांत्रिक संग्रामों में तमाम जनसंगठनों के साथ भाईचारे के संबंधों को और भी विकसित करने के लिए सभी जनसंगठनों के नवनिर्मित मंच का पूरा इस्तेमाल सीआईटीयू को करना होगा। किसानों के साथ और भी घनिष्ट संबंध बनाने पर विशेष रूप से बल देना होगा। खेत मजदूरों समेत किसान आंदोलन की सहायता के लिए हमारी स्थानीय यूनियनों को पहलकदमी करनी होगी। राज्य कमेटियों और जनरल कौंसिल/वर्किंग कमेटी को इस क्षेत्र में कार्यों की समीक्षा करनी होगी ताकि व्यवस्थित रूप से इस संबंध को और मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही फेडरेशन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें जीजान से कोशिश करनी होगी।

16.14. सांगठनिक ढांचे में कमजोरियों को दूर करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए औद्योगिक फेडरेशनों और को-आर्डिनेशन कमेटियों को आत्मलोचनात्मक सांगठनिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट की एक प्रति सीआईटीयू केंद्र को भेजनी होगी ताकि वह सुधार के कामों की निगरानी कर सकें तथा आगे और विचार के लिए जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी में उस रिपोर्ट को पेश कर सकें।

16.15. कुछ कामरेडों द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो काम तय किये गये हैं उन पर क्या गंभीरता से अमल किया जायेगा? इसकी गारंटी इस पर निर्भर करती है कि इन कामों को लागू कराने के प्रति हमारे नेता कितने

गंभीर हैं। यह हमारे कार्यकर्तां की चौकसी पर भी निर्भर करता है। उन्हें देखना होगा कि हर कमेटी में मुद्दों को उठाया जाय और उन्हें अमल में लाया जाय। इस दस्तावेज में दिये गये मार्गदर्शक निर्देशों का पालन जो नहीं करते हैं उनकी सख्त आलोचना की जानी चहिए। हर कामरेड को, चाहे वे किसी भी स्तर पर काम करते हों, इस रिपोर्ट की रोशनी में अपने कामों और कार्यशैली की आत्मालोचनात्मक तरीके से जांच करनी चाहिए तथा स्वयं को सुधारना चाहिए। ताकि इन कार्यों पर अमल के लिए सामूहिक प्रयास किये जा सकें। यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हमारे आंदोलन को यह काफी नुकसान पहुंचायेगा और हमारा अंतिम लक्ष्य महज एक सपना ही बना रहेगा।

16.16. यदि हम अपनी सांगठनिक दुर्बलताओं से उबरने के लिए तेज कदम उठाते हैं तो हमारे पास मौका है कि अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकें। बेहतर सांगठनिक ढांचे के जरिए मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करने की हमारी क्षमता काफी बढ़ जायेगी तथा दुर्बल इलाकों में आगे बढ़ने की हमारी क्षमता में काफी बढ़ोत्तरी होगी। हाल के दिनों में जो हजारों सचेतन और समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ आये हैं, संग्राम के मैदान में उन्हें खींच लाना होगा। यदि एक बार के लिए बुर्जुआ-जमींदार वर्ग के खिलाफ आघात करने में प्रभावशाली योगदान हम कर पायेंगे, विभिन्न स्तरों पर उभरते सामूहिक नेतृत्व तथा शक्तिशाली होते ट्रेड यूनियन जनतंत्र के जरिये मौजूदा हालात में हमारा संगठन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में और भी तत्पर होगा।

16.17. आइये, हम रिपोर्ट के निर्देशों को व्यवहार में लाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम करें ताकि जल्द से जल्द अपनी सांगठनिक कमजोरियों से हम उबर सकें। इतना ही नहीं, अपने रोजमर्रे के कामों के हित के साथ ही साथ भारत की धरती पर समाजवाद कायम करने के अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन कमजोरियों से उबरने की नैतिक शक्ति हममें है। मजदूरवर्ग के एकजुट आंदोलनों के संचालन का हमारा बड़ा ही समृद्ध अनुभव रहा है। इस अनुभव के जरिये मौजूदा उभरती परिस्थिति की चुनौती का सामना करने में हम सक्षम होंगे। हमारा संगठन गर्व से यह कह सकता है कि देश की अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तुलना में हमारे संगठन में सबसे अधिक कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं का यदि उचित विकास किया जाय तो वे एक इतनी बड़ी शक्ति बन जायेंगे कि जिसका अंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि हम इस कार्य में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से सीआईटीयू के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

भुवनेश्वर में 4-6 जून 1993 को आयोजित
सीआईटीयू की वर्किंग कमेटी की बैठक में स्वीकृत।

मैं ''सांगठनिक रिपोर्ट'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तिका के लिये सी आइ टी यू को बधाई देता हूं। हमने जिनेवा, स्विटरज़रलैंड तथा भारत स्थित आइ एल ओ के दोनों मुख्यालयों में इस रिपोर्ट को भारी रुचि लेकर पढ़ा है; हमें लगा कि यह रिपोर्ट अत्यंत शानदार आत्मविश्लेषण है। यह अपने कार्यों की समीक्षा करते रहने, बदलते परिवेश के अनुकूल स्वयं को ढालने तथा अपने लक्ष्यों के प्रति सी आइ टी यू के समर्पण तथा क्षमता को दर्शाती है। अपनी कार्य क्षमता तथा प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि संगठन स्वयं को उनके अनुकूल बनाएं और साहसिक पहलकदमियां करें...

यह रिपोर्ट आत्म-मूल्यांकन करके निकाले गए निष्कर्षों के अनुसार काम करने के प्रति आपके ट्रेड यूनियन संगठन के समर्पण को दर्शाती है। आपने स्वीकार किया है कि ''शिक्षा का निरंतर प्रसार किये बिना श्रमिक संगठन प्रभावी ढंग से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते'' और ''कामकाजी महिलाओं में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को शिक्षित किये बिना उन्हें श्रमिक संघों में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिये प्रेरित करना सम्भव नहीं है।'' आपने कम वेतनों जैसी विभिन्न समस्याओं तथा रोजगार सुरक्षा का अभाव होने के कारण असंगठित क्षेत्र में काम करने के भारी महत्व पर बल दिया है। आपने श्रमिक संघों के मध्य एकता लाने के सिद्धांत का अनुमोदन किया है। हमने देश में बेरोजगार युवकों तथा युवा श्रमिकों के लिये आपकी चिन्ताओं को भी रेखांकित किया है।

आपके द्वारा आत्म विश्लेषण करने के पश्चात् निकाले गए निष्कर्षों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए सी आइ टी यू को बधाई देता हूं और उसकी सफलता की कामना करता हूं।

आइ एल ओ (भारत तथा भूटान) की निदेशक सुश्री जोसफिन करावासिल द्वारा 3-7 मार्च, 1994 को सम्पन्न सी आइ टी यू के आठवें महाधिवेशन के लिये भेजे गए संदेश के प्रमुख अंश।

नवम्बर, 2001 मूल्य : चार रुपये

सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, 13-ए, राउज़ एवन्यू, नयी दिल्ली-110002 से महासचिव एम० के० पंधे द्वारा प्रकाशित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित